सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

14 मार्च, 2018

षोडश विधान सभा 14 मार्च, 2018 ई0

------------- बुधवार, तिथि --------------

नवम् सत्र 23 फाल्गुन, 1939(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । श्री ललित कुमार यादव, प्रश्न संख्या-20 ।

(व्यवधान)

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मेरा कार्यस्थगन प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष : कार्यस्थगन का अभी समय है ? अभी तो आपके प्रश्न का समय है । माननीय सदस्य प्रश्न पूछिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं पूछता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव जी का उत्तर दीजिए ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : सत्यदेव राम जी, आप अपनी उंची आवाज का फायदा क्यों उठाते हैं ? आप 12.00 बजे सूचना दीजियेगा, हम ग्रहण करेंगे ।

प्रश्नोत्तर-काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-20(श्री ललित कुमार यादव)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अंशतः स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्य आरंभ एवं स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष के अंतम दिनों में प्राप्त हुई । लाभार्थियों के चयन की जटिल प्रक्रिया के कारण योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रारंभिक दौर में विलंब हुआ । योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के निर्धारित लक्ष्य 6,37,658(छः लाख सैंतीस हजार छः सौ अंठावन) के विरूद्ध अबतक 4,48,374(चार लाख अड़तालीस हजार तीन सौ चौहत्तर) लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से आवास का प्लिंथ स्तर तक आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराने वाले

1,08,713(एक लाख आठ हजार सात सौ तेरह) लाभुकों को द्वितीय किस्त का भुगतान किया जा चुका है । आवास का छत ढलाई तक का निर्माण कार्य पूर्ण कराने वाले 13,315(तेरह हजार तीन सौ पन्द्रह) लाभुकों को तृतीय किस्त की सहायता राशि का भी भुगतान कर दिया गया है ।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुसार आवास का निर्माण कार्य आवास स्वीकृति के 12 माह के अन्दर लाभुकों द्वारा स्वयं किया जाना है । अबतक 8,046 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है ।

योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु लाभुकों को अभिप्रेरित करने के लिए पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक एवं प्रखंड स्तर पर ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का नियोजन किया गया है, जो लाभुकों द्वारा किये जाने वाले आवास निर्माण कार्य का निरंतर अनुश्रवण करते हैं । विभाग स्तर से उप विकास आयुक्त की मासिक बैठक एवं साप्ताहिक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की प्रगति सतत् समीक्षा एवं नियमित अनुश्रवण किया जाता है । इससे आवासों के निर्माण कार्य में संतोषजनक प्रगति हुई है । विभाग सभी आवासों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने हेतु कृत संकल्प है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2016-17 का बताया और वर्ष 2017-18 के मार्च के अंतिम में हैं । ये 6 लाख के विरूद्ध 4 लाख बताये 2016-17 में, 2017-18 में पांच लाख से उपर लक्ष्य था, उसका ये कुछ नहीं बताये । दूसरा यह कि मानवीय मूल्यों आधार विकसित करने के लिए इन्सान को रोटी, कपड़ा, मकान की सबसे नितांत आवश्यकता होती है और इतने महत्वपूर्ण योजना राज्य सरकार की एकदम विफल चल रही है । माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि केन्द्र से राशि विलंब से प्राप्त होने के कारण और दूसरा यह बता रहे हैं कि इंदिरा आवास में जटिल प्रक्रिया । महोदय, ये दोनों जो भी बातें हों, इंदिरा आवास में बड़े पैमाने पर लूट है महोदय, सभी माननीय सदस्य सदन के हैं, वे जानते होंगे, हमलोग जन-प्रतिनिधि हैं लेकिन जानते हैं कि बहुत भारी लूट है और लूट के कारण इंदिरा आवास निर्माण...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री ललित कुमार यादव : पूरक ही पूछते हैं । महोदय, यह पूरे बिहार के गरीब के मकान का सवाल है तो क्या आप सदन की कमिटी से इसकी जांच कराना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : आप आसन से पूछ रहे हैं कि सरकार से ?

श्री ललित कुमार यादव : सरकार से । महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत सीनियर लीडर हैं और जिन प्रश्नों को उठाया है, उसका एक-एक करके इनको जवाब दिया गया है । 2016-17 का इन्होंने पूछा तो इसका जवाब दिया गया, अगर 2017-18 का भी जानना चाहेंगे तो भी उनको जवाब देंगे । महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि राज्य के अन्दर अगर ऐसी सूचनायें विभाग को प्राप्त होती है कि इंदिरा आवास में गड़बड़ी की जा रही है या गड़बड़ी की सूचनायें प्राप्त हो रही है तो हमने कार्रवाई की है महोदय । माननीय सदस्य को जानकर प्रसन्नता भी होगी कि हमने दो बी0डी0ओ0 को चेतावनी दंड दिया है, दो के विरूद्ध प्रपत्र-क गठित किया गया है और 21 से हमने स्पष्टीकरण पूछा है, 41 ग्रामीण आवास सहायक बर्खास्त हुए हैं, एक लेखा सहायक भी बर्खास्त हुए हैं और दो ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को बर्खास्त किया गया है, जो सूचनायें मिली है ।

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, गरीबों से यदि जुड़ाव है तो आप हमको लिखित रूप में दीजिए कि कहां-कहां गड़बड़ी हो रही है, अगर आप सूचना दीजयेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, कोई इसमें बचने वाला नहीं है, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, क्या जवाब है माननीय मंत्री महोदय जी का ? हम माननीय मंत्री जी के जवाब को चुनौती देते हैं । राज्य भर में कोई भी जगह ऐसा अछूता नहीं है एक गांव भी, एक पंचायत भी जहां कि इंदिरा आवास में 20 से 25 हजार रूपया नहीं लिया जाता हो । पूरे बिहार में लूट है, आप सदन की कमिटी से जांच करा दीजिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपने प्रश्न पर गौर कीजिए, उसमें लूट का तो कोई जिक्र नहीं है, उसमें तो लक्ष्य प्राप्ति की बात है । आप गौर से अपना प्रश्न देखिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं प्रश्न को किया भी हूँ और देख भी रहा हूँ और आसन से आग्रह भी है, इसमें स्पष्ट है कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो क्या कारण है?

अध्यक्ष : कार्रवाई भी जो किये हैं बी0डी0ओ0 और सब के बारे में, वे बतायें हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कई बार के विधायक हैं और ये मुहावरा में बात रख रहे हैं । मैंने तो आसन के माध्यम से माननीय सदस्य को कहा कि आप अगर प्रमाण के साथ, जो चौक-चौराहे पर बातें चलती हैं, उसी बात को ये उठा रहे हैं, चौक-चौराहे की बातों से तो काम नहीं चलेगा । आप प्रमाण के साथ हमें दीजिए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, एक अंतिम प्रश्न । सभी माननीय सदस्य हैं सदन के, आप कार्यकाल में, ढाई साल में इससे बड़ा महत्वपूर्ण कौन सा प्रश्न होगा ? गरीबों के इंदिरा आवास का मामला है और प्रधानमंत्री आवास योजना का 17-18 में भी पांच लाख से उपर लक्ष्य था, वह भी लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं । इसमें एक ही कारण है कि इसमें भारी रकम ली जाती है इंदिरा आवास के लाभुकों से, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बन रही है, महोदय । हम आपसे मांग करते हैं कि सदन की कमिटी से इसकी जांच करायी जाय ।

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास का मामला है और आप भी कहीं-न-कहीं से विधायक हैं और आसन पर संरक्षण देने के लिए बैठे हुए हैं । हम सभी माननीय विधायक यहां आये हैं और जनता के हित की चर्चा करने के लिए लेकिन यह सच्चाई है कि इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री योजना है या जो भी योजना है, इसमें पैसे की लूटमार हो रही है......

अध्यक्ष : मंत्री ने तो कहा है कि आप दीजिए, जांच करायेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : नाम से नहीं...

अध्यक्ष : आप दीजियेगा तब न जांच करायेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : मंत्री महोदय दल से उपर उठकर, मंत्री पद से उपर उठकर काम करें चूंकि आवाज विधायकों की है, सदन की आवाज है, कोई ऐसा नहीं कि भाई वीरेन्द्र, ललित यादव का मामला नहीं है, गरीबों के आवाज का मामला है और उसमें घोटाले हो रहे हैं ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-क-782(श्रीमती बेबी कुमारी)</u>

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ऊर्जा विभाग को स्थानांतरित है ।

अध्यक्ष : ऊर्जा विभाग को स्थानांतरित ।

(व्यवधान)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-ख-809(श्रीमती प्रेमा चौधरी)</u>

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-ग-818(श्रीमती बेबी कुमारी)</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री महेश्वर हजारी, मंत्री : महोदय, स्थानांतरित है ग्रामीण विकास विभाग को ।

(व्यवधान)

टर्न-2/शंभु/14.03.18

(व्यवधान)

(इस अवसर पर राजद के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सदन नहीं चलाने की इच्छा है तो बता दीजिए ।

(व्यवधान)

अब सदन की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-3/अशोक/14.03.2018

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, एक सेकेन्ड । मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से बिहार में जहां उप चुनाव हुये हैं, उसमें आर.जे.डी. जीती है ......

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन 1 अप्रील, 2018 से 31 मार्च, 2020 तक के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसार निर्वाचन पद्धति से न होकर मनोनयन पद्धति से हो एवं अध्यक्ष बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें तथा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 237(1), 240(1) एवं 241(1) के आवश्यक अंश केवल इस हद तक शिथिल किये जायं ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

" यह सदन बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन 1 अप्रील, 2018 से 31 मार्च, 2020 तक के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमशः 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसार निर्वाचन पद्धति से न होकर मनोनयन पद्धति से हो एवं अध्यक्ष बिहार विधान सभा उन समितियों के सदस्यों का मनोनयन करें तथा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 237(1), 240(1) एवं 241(1) के आवश्यक अंश केवल इस हद तक शिथिल किये जायं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सदन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमश: 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसरण में बिहार विधान परषिद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के 1अप्रील, 2018 से 31 मार्च, 2020 तक के लिये क्रमश: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सह-सदस्यों के लिये बिहार विधान परिषद् से क्रमश: चार, छ: एवं तीन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हों तथा बिहार विधान परिषद् के सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करे ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

" यह सदन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम क्रमश: 237(1), 240(1) एवं 241(1) के अनुसरण में बिहार विधान परषिद् से सिफारिश करता है कि वह इस सदन के 1अप्रील, 2018 से 31 मार्च, 2020 तक के लिये क्रमश: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सह-सदस्यों के लिये बिहार विधान परिषद् से क्रमश: चार, छ: एवं तीन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए सहमत हों तथा बिहार विधान परिषद् के सदस्यों के नाम इस सदन को सूचित करे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : मननीय सदस्यगण, आज सहकारिता विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :-

राष्ट्रीय जनता दल -59 मिनट
जनता दल(यूनाईटेड) -52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी -39 मिनट
इन्डियन नेशनल कॉग्रेस-20 मिनट
सी0पी0आई0(एम.एल.)-02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी -02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा-01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी-02 मिनट

निर्दलीय -03 मिनट

माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

" सहकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 8,06,50,99,000/-(आठ अरब छ: करोड़ पचास लाख निनानवे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री भोला यादव, श्री रामदेव राय, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री महबूब आलम एवं श्री ललित कुमार यादव से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जो व्यापक हैं और जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री भोला यादव का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री भोला यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री भोला यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ

" कि इस शीर्षक की मॉंग 10/- रूपये से घटाई जाय । "

महोदय, सहकारिता विभाग बहुत बड़ा महकमा है, इस महकमा में गांव-गवई के जो लोग हैं, गांव के जो किसान हैं उनको एक सूत्र में बांधने का यह एक बहुत बड़ा साधन है लेकिन कहीं न कहीं राज्य के अन्तर्गत जो व्यवस्था है, जो सरकार नीति अभी चल रही है उस नीति से किसानों को भारी कठिनाई हो रहा है, भारी क्षोभ हैं । महोदय, मैं यह कटौती प्रस्ताव, मैं इसलिये लाया हूॅ, बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में सेनट्रल प्लान स्कीम के तहत विगत 06.03.2018 तक बजट इस्टीमेट के आलोक में मात्र 12 प्रतिशत खर्च हुआ है, मात्र 12 प्रतिशत महोदय और अभी स्थिति यह है कि मात्र 20 दिन बच गया यह वित्तीय वर्ष, अगला जो पैसा है इसकी लूट-खसोट ही होगा इसकी सम्भावना प्रबल हैं। महोदय, राज्य स्कीम की स्थिति यह है कि मात्र 62 प्रतिशत ही खर्च हो पाया है और मात्र 20 दिन बच रहा है, सोचा जा सकता है कि इसका क्या होगा । तो माननीय मंत्री, सहकारिता मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूॅ कि आखिर कटौती क्यों नहीं हो ? आपका बजट दिन प्रति दिन खर्च में कमी हो रही है बजट में तो कटौती होनी चाहिये, यह लाजिमी है । क्रमश:...

टर्न-4/ज्योति/14-03-2018

क्रमश:

श्री भोला यादव : महोदय, पूरे राज्य की स्थिति है कि पूर्ण रुप से यह फीसड्डी विभाग हो गया है । सहकारिता जितने भी बैंक हैं, उन सारे बैंकों की स्थिति दयनीय है । कोई भी बैंक कारगर ढंग से नहीं चल रहा है । जितने भी कोऔपरेटिव बैंक है, गांव में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो जिला वाईज है, उन सब की स्थिति बद से बदत्तर है। कुल मिला कर देखिये तो कोऔपरेटिव विभाग की जो स्थिति है, वह अपना कार्य नहीं कर रहा है । मुझे याद है वर्ष 1982 में गुजरात गया था । उस समय में उन गांवों का मैंने दौरा किया । उन गांवों में घूमने का मुझे अवसर मिला, तो मैने देखा कि एक एक गांव में कोऔपरेटिव सोसायटी के माध्यम से अस्पताल, मवेशी अस्पताल, मवेशी का चारा खरीदने की दुकान, दवा की दुकान, कपड़े की दुकान, परचून की दुकान, कुल मिला कर और बैंक हरेक गांव में और कोऔपरेटिव के माध्यम से सभी गांव में सामुदायिक भवन और कोऔपरेटिव के द्वारा ही पूरे गांवों में सड़क, नाली आदि का निर्माण था । 1982 की बात मैं महोदय, बता रहा हूँ । मैं धन्यवाद देता हूँ कुरियन साहेब को जो कुरियन साहेब ने इतनी बड़ी योजना उन गांवों के लिए चलाया और अमूल एक संस्था है, अमूल के माध्यम से मेहसाना भी मैं गया था और आनंद भी गया था । दोनों जगह मैंने देखा कि कोऔपेरेटिव वहाँ इतना पावरफुल है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को कोऔपरेटिव ही संचालित करता है। माननीय मंत्री युवा हैं रणधीर जी, उनसे मैं आग्रह करुंगा कि आप उस समय में जब गुजरात का वह पोजीशन था, तो आज भी अपने राज्य में कोऔपरेटिव को उस स्थिति में, 1982 वाली स्थिति में भी लाने की कोशिश कीजिये । आप डबल इंजन की सरकार में है । एनर्जेटिक युवा मंत्री हैं और आप में हमारे नेता स्वर्गीय सीताराम बाबू का खून रग रग में दौड़ रहा है । आप उस स्फूति के साथ इस चीज को कीजिये । हमलोगों का विपक्ष का सहयोग आपको मिलता रहेगा । महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि सहकारिता की स्थिति विगत दिनों में जब एन.डी.ए. की सरकार थी, इतनी खराब रही कि यहाँ बिस्कोमान जर्जर अवस्था में था । उस समय बिस्कोमान के चेयरमैन श्री सुनील कुमार सिंह जी जब प्रभार लिए, तो उनको कई तरह से सताया गया । चारों तरफ से उनको परेशान किया गया है कि किसी भी तरह से बिस्कोमान राईज नहीं करें लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ सदन के माध्यम से आपके माध्यम से कि सुनील जी ने पूरी मेहनत और लगन के साथ बिस्कोमान को आगे बढ़ाने का काम किया और आज बिस्कोमान पूरे रंग रुप में व्यापार कर रहा है, ऐसी संस्थाओं को जीवित करने की आवश्यकता है जो स्थिति बन गयी है, कोऔपरेटिव के पैक्स की स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय,

जो पैक्स में औन लाईन धान खरीदने की बात की जा रही है । यहाॅ तो औफ लाईन हो गया है । धान की अधिप्राप्ति नहीं हो पा रही है, गरीब किसान बिचौलिया के हाथों नीलाम हो रहे हैं और सरकार टुकुर टुकुर, मुलुर मुलुर देख रही है, लेकिन सरकार को इसतरह की दोहरी नीति नहीं रखनी चाहिए । किसान के बदौलत ही सरकार है यदि सरकार किसानों को संरक्षित नहीं करेगी, तो सरकार नहीं चल पायेगी, नहीं चल पायेगी । महोदय, मैं बताना चाहता हूॅ कि आज किसानों की स्थिति बहुत खराब है । खाद, बीज समय पर नहीं मिल रहा है । उनको जो सहयोग चाहिए, वह सहयोग नहीं मिल रहा है, सरकार उदासीन है, मैं मानता हूॅ कि यहाॅ पर लोगो में कार्य क्षमता का जितना मानक होना चाहिए, उतना यहाॅ के पदाधिकारियों में नहीं है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी उस पर यदि तरीके से उसको चलाने की कोशिश करेंगे, तो कोऔपरेटिव बहुत ऊंचाई पायेगा और खास करके गांवों का सर्वोंगीण विकास होगा, मेरे बहुत से साथी आज वक्ता है, मेरे बाद श्री शिव चंद्र राम जी बोलेंगे, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के माध्यम से उन तमाम जनता को बधााई देना चाहता हूॅ, जिन्होंने इस उप चुनाव में भाग लिया है और भाग ले करके ....

अध्यक्ष : सहकारिता का चुनाव हुआ है क्या ?

श्री भोला यादव : महोदय, सहकारिता का चुनाव नहीं हुआ है लेकिन सहकारिता का एक पार्ट है । आप जानते हैं कि जनता ने एन.डी.ए. मुक्त भारत बनाने का और बिहार में एन.डी.ए. को बाई बाई कह दिया है । मैं तमाम जनता को आपके माध्यम से बधााई देना चाहता हूॅ सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूॅ कि जो ऊपर संघ मुक्त भारत और नीचे नीतीश मुक्त बिहार जनता ने मन बना लिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद उस जनता को ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री भोला यादव जी, आपने तो कहा कि शिव चंद्र जी को हम समय देना चाहते हैं लेकिन पार्टी ने आपको 5 मिनट समय दिया था और आप 13 मिनट बोले, तो कौन समय उनको दिए ?

श्री भोला यादव : महोदय, आप उसमें बढ़ोत्तरी कर दीजिये । आप गार्जियन हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जितेन्द्र कुमार ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता विभाग की मांग प्रस्तुत की गयी है मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूॅ । अध्यक्ष महोदय, ...

(व्यवधान)

मांग के पक्ष में, कंफ्युजन नहीं हो आपको । अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूॅ कि मैं 2005 से विधायक हूॅ । लगातार मैं विधायक रहा हूॅ और मैं देखा करता था कि सहकारिता विभाग लीडिंग विभाग नहीं हुआ करता था।

इसपर बहस नहीं होती थी, डिबेट नहीं होते थे । जब कृषि विभाग के साथ यह विभाग होता था, जब मैं सहकारिता विभाग के बारे में बोलता था, तो कहा जाता था कि कृषि विभाग के बारे में बोलिये लेकिन आज पूरी आजादी है सहकारिता विभाग के बारे में बोलना और सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और बहुत महत्वपूर्ण विभाग है इसका सम्पर्क गांव, टोला और पूरी दुनिया में फैला हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई परिवार है, तो वह सहकारिता परिवार है और मैं सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूँ । माननीय सहकारिता मंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने एक लीडिंग विभाग के रुप में प्रस्तुत किया और हम लोगों को मौका मिला है सहकारिता विभाग के बारे में बोलने का । महोदय, सहकारिता का अर्थ होता है एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे के सहयोग से ही कोई भी काम संभव हो सकता है और सहकारिता का जो मूल मंत्र है एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे के सहयोग से ही बड़े बड़े काम होते हैं, असंभव काम भी संभव होते हैं और माननीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन्होंने सकारात्मक विचार रचनात्मक सोच के तहत बिहार में सहकारिता विभाग में आमूल चूल परिवर्तन किए, अद्भुत परिवर्तन किए । माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि गांव का विकास हो, ग्रामिणों का विकास हो और गांव में रहने वाले हमारे लोगों का विकास हो, इसके लिए सहकारिता एक महत्वपूर्ण विभाग है । किसान धान उत्पादन करते हैं, गेहूँ उत्पादन करते हैं, उनका सही मूल्य मिले । इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष व्यवस्था की और अधिप्राप्ति शुरु करवाया बिहार में । पॉच छः साल पहले अधिप्राप्ति नाम की कोई चीज बिहार में नहीं थी । यह माननीय नीतीश कुमार जी की सोच है जिन्होंने अधिप्राप्ति का बिकेन्द्रीकरण करवाया और पूरे बिहार में 8463 पैक्स हैं और 8463 पैक्स के माध्यम से और व्यापार मंडल के माध्यम से अधिप्राप्ति का कार्य शुरु हुआ और आज पूरे बिहार में जितने भी पंचायत हैं, हर पंचायत में अधिप्राप्ति का कार्य चल रहा है और किसानों को सही दाम भी मिल रहा है । बिचौलिया हैं नहीं और इतनी अच्छी व्यवस्था की गयी है महोदय, कि किसानों को तत्काल आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अपने धान के बदले भुगतान हो जाता है और इतनी पारदर्शिता है कि औन लाईन रजिस्ट्रेशन किया गया है किसानों का और अनुश्रवण भी रिभियू भी औन लाईन ऐप एप्लीकेशन के माध्यम से हो जाता है, इसलिए गड़बड़ी की संभावना नहीं है । हम तो देखें है महोदय, कि पहले चुनाव क्या होता था सहकारिता का, लोग कहते थे कि झोला में ले कर घूम रहे हैं सोसायटी को, पैकेट में ले कर घूम रहे हैं सोसायटी को ।

क्रमशः

टर्न-05/14.3.2018/बिपिन

श्री जितेन्द्र कुमारः क्रमशः चुनाव कब हुआ, किस समय हुआ, पता ही नहीं चलता था । माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की स्थापना की और छोटी-छोटी समितियां भी अब प्राधिकार के माध्यम से उसका निर्वाचन शुरू हो गया। बड़े-बड़े एपेक्स सोसाइटी का चुनाव तो होते ही हैं, अब छोटे-छोटे सोसाइटी जो मत्स्यजीवी सोसाइटी हैं, बुनकर सोसाइटी हैं, श्रमिक सोसाइटी हैं, तमाम तरह की जो सोसाइटी हैं, महोदय, अब बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के माध्यम से चुनाव होता है लेकिन इस बात को मुझे कहना है, सरकार को संज्ञान में देना चाहता हूं ...

(इस अवसर पर माननीय सभापति महोदय श्री हरिनारायण सिंह ने आसन ग्रहण किया)

महोदय, छोटी-छोटी समितियां हैं, अब उन समितियों को भी जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप चुनाव में पांच हजार रूपया लेते हैं, प्राधिकार जो बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार हैं, पांच हजार रूपया लेता है । अब उसके पास इतनी अच्छी स्थिति नहीं है कि वो पांच हजार रूपया चुनाव करवाने के लिए दे । इसको महोदय, माननीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि उसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है । प्रधान सचिव भी बैठे हुए हैं । मैं चाहूंगा कि इसपर ध्यान देने की आवश्यकता है । महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है इनकम टैक्स । सहकारिता को भी इनकम टैक्स के दायरे में लाया गया है । अब छोटी-छोटी समितियां हैं, कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको भी इनकम टैक्स के दायरे में लाया गया है । तो इसको ध्यान देने की आवश्यकता है महोदय । इस मामले पर केंद्र सरकार से बात करने की आवश्यकता है कि यह किसानों की संस्था है, गरीबों की संस्था है, इसके माध्यम से इस समूह का विकास होता है, इनकम टैक्स के दायरे से इसे मुक्त करना चाहिए । यह हमारा सुझाव है महोदय ।

महोदय, हमारे बिहार में तीन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बंद है- मधेपुरा, दरभंगा, छपरा । सरकार इसके लिए सोची भी है, विचार भी कर रही है । मैं तो चाहूंगा कि इन तीनों बैंकों को पुनः जीवित किया जाए ताकि उस जिला के लोगों को लाभ मिल सके, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का लाभ मिल सके । इसपर यथाशीघ्र कोई कार्रवाई करें महोदय । मैं जानता हूं कि आपलोग इसपर विचार कर रहे हैं और विचार करने की आवश्यकता है लेकिन तत्काल हो । अगले वित्तीय वर्ष में बैंक का जीर्णोद्धार हो जाए, बैंक अपना काम करना शुरू कर दें । महोदय, हमने देखा है कि बहुत सारे स्थिति के कारण कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति गड़बड़ होती रही । अब नोटबंदी के समय में क्या हुआ कि उस कोऑपरेटिव बैंक

में पैसा जमा करने के लिए रोक लगा दिया गया, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में । उसका भी बुरा प्रभाव पड़ा महोदय । इसलिए हमारी तुलना डिस्ट्रक्ट कोऑपरेटिव बैंक की तुलना कॉमर्शियल बैंक से की जाती है तो कामर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में महोदय, अंतर है । कॉमर्शियल बैंक जो है वह अपना व्यवसाय करता है और अपने तरीके से करता है लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है या पैक्स है, वह लगातार अधिप्राप्ति कार्य में, जनसेवा में लगा रहता है, किसानों की सेवा में लगा रहता है । दोनों के कार्य में फर्क है महोदय । इसलिए इसपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं तो चाहूंगा कि अभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में सरकारी राशि जमा नहीं होते हैं, सरकार का आदेश भी है, प्रधान सचिव भी बैठे हैं और विभाग के मंत्री बैठे हुए हैं, एक रूपया, सरकारी रूपया बैंक में जमा नहीं होता है तो आप दोहरी नीति अपना रहे हैं । भले केंद्र सरकार अपना पैसा नहीं दे, राज्य सरकार अपना पैसा दे सकती है । जमा करने से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, जनता के बीच में भरोसा बढ़ेगा महोदय । इसलिए सरकारी पैसा भी, विभाग का पैसा भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जमा हो, खाता खुले लेकिन एकदम इग्नोर किया जाता है अधिकारियों के द्वारा या कोऑपरेटिव बैंक में खाता न खोलें और कोऑपरेटिव बैंक में पैसा जमा नहीं हो तो पब्लिक के बीच में, किसानों के बीच में लोग गुमराह होते हैं । इसको ध्यान देने की आवश्यकता है महोदय । आप देखते होंगे महोदय कि कोऑपरेटिव बैंक का जो चेक है या ड्राफ्ट है उसका कहीं वैल्यू नहीं है महोदय, कहीं वैल्यू नहीं है । जिला के बाहर जाइए, कोई वैल्यू नहीं है । उसका ड्राफ्ट भी नहीं लेगा, चेक भी नहीं लेगा । यह कैसी विडम्बना है महोदय । यह बहुत बड़ा मामला है महोदय । कोऑपरेटिव बैंक भी बैंकिंग कर रहा है, रिजर्व बैंक के द्वारा लाइसेंस भी प्राप्त है फिर भी उसके चेक का कोई मतलब नहीं है, ड्राफ्ट का कोई मतलब नहीं । अब हम चुनाव लड़ रहे हैं, सारे विधायक चुनाव लड़ते हैं । अब उसमें खाता खुलवाना है । बिहार निर्वाचन आयोग ने कहा कि किसी बैंक से खाता खुलवाकर आइये । तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का खाता ले गया । बोला कि नहीं, यह नहीं चलेगा । तो इसको ध्यान देने की आवश्यकता है मंत्री महोदय । इस खाता का संचालन अगर कहीं मांग करे तो इसको भी वैल्यू मिले । चेक का, ड्राफ्ट का, इसका वैल्यू मिले, यह हमारा कहना है महोदय । हम तो कहना चाहेंगे...

(व्यवधान)

हम तो कहना चाहेंगे सहकारिता के बारे में, सुझाव दे रहे हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सकारात्मक सोच वाले हैं, सकारात्मक सोच वाले सोचते हैं...

(व्यवधान)

परिवर्त्तन क्या हुआ, इसको देखिए । अधिप्राप्ति वगैरह कहीं कुछ नहीं था लेकिन सुनिए पहले, हम जो बोल रहे हैं, सुनिए पहले, राज्यहित में है । मैं भाषण नहीं बना रहा हूं, यह हकीकत में है । सुनिए इसको । केवल बात बनाने से काम नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

महोदय, अब अधिप्राप्ति में जो सूद का दर है, वह भी गजब का है । अब महोदय, राज्य सरकार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को 9 परसेंट पर इंट्रेस्ट, सूद लगाने पर सी.सी. लोन देती है अधिप्राप्ति कर में और फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को 9.5 परसेंट पर लोन देती है और फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक पैक्सों को 11 परसेंट पर लोन देती है तो 11 परसेंट का बोझ महोदय ? यह अजीब लगता है । अब हम कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं । हम किसानों के हित के काम कर रहे हैं । पैक्स को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास बनाने कर रहे हैं, स्वावलम्बी बनाने का प्रयास कर रहे हैं ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): माननीय सदस्य श्री जितेन्द्र कुमार जी ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, अभी तो आधा ही नहीं हुआ है महोदय । हम तो कहेंगे कि और विशेष समय दिया जाए जो राज्यहित में है ताकि जो सुझाव है वह मैं रख सकूं ।

महोदय, इन समस्याओं को देखने की चीज है । महोदय, हम तो कहेंगे कि इन सूद के दर को घटाया जाए और सबसे बड़ी समस्या है अधिप्राप्ति में एस.एफ.सी. की समस्या है । एस.एफ.सी. पर ध्यान देने की आवश्यकता है । पूरे बिहार राज्य में अड़तीसों जिला में अधिप्राप्ति हुआ । अभी समझिए महोदय कि कम-से-कम 2000 पैक्सों का एस.एफ.सी. के यहां बकाया है । पैक्सों ने अपना धान दे दिया और पैक्सों ने किसानों को चेक भी काट दिया लेकिन एस.एफ.सी. ने पैक्सों का भुगतान नहीं किया । यह तो बहुत बड़ी विडम्बना है महोदय । लगातार सूद बढ़ रहे हैं । लगातार 11 परसेंट के हिसाब से सूद बढ़ रहे हैं महोदय पैक्सों पर । हम पैक्सों को आत्म निर्भर करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन 11 परसेंट के दर से सूद बढ़ रहा है, अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है । कई पैक्स, हजारों पैक्स डिफॉल्टर हो गए । ऐसी स्थिति में पैक्स कैसे काम करेंगे, अधिप्राप्ति कैसे करेंगे और सूद देय होगा तो 13 परसेंट से बढ़ जाएंगे, तो लगातार पैक्सों की हालत

गंभीर होती जा रही है । इसको देखने की जरूरत है मंत्री महोदय कि एस.एफ.सी. समय पर भुगतान नहीं कर रहा है । क्यों नहीं कर रहा है, इसको रिव्यू करने की आवश्यकता है । मैंने प्रश्नों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से अवगत कराया सरकार को । लगातार सूद की दर बढ़ रहे हैं बेवजह। अगर एस.एफ.सी. समय से काम कर देता, समय से भुगतान कर देता पैक्सों को तो कोई दिक्कत नहीं होती । पैक्स आत्मनिर्भर होंगें और लगातार आगे बढ़ेंगे ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें । आपका 10 ही मिनट समय था ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, हम कहना चाहेंगे कि सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की है । जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं, उसमें 12 कोऑपरेटिव बैंक को ए.टी.एम. से कर दिया गया और दूसरी बात सरकार की सोच है कि तमाम पैक्सों को कंप्यूटरीकृत करना ताकि उसका अनुश्रवण हो, रिव्यू हो। इन तमाम पैक्सों को ए.टी. एम. से लगाने का प्रयास किया जा रहा है । दूसरी बात कहना चाहेंगे कि सरकार की कुछ उपलब्धियां बहुत विशेष उपलब्धियां है। मतलब कि सरकार सब्जी उत्पादक सहयोग समिति का भी गठन किया है जिसमें कि प्रथम चरण में पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगुसराय में आरंभ किया गया है ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): अब समाप्त करें । माननीय सदस्य श्याम बाबू प्रसाद यादव।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव: महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पेश सहकारिता विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, मैं बता दूं कि हम भी किसान परिवार से आते हैं और सहकारिता का नाम तो हमलोग सुनते थे लेकिन सहकारिता से कभी यह नहीं हुआ कि सहकारिता विभाग में काम भी होता है लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी सहित आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और हमारे आदरणीय मंत्री राणा रणधीर जी को कि आज सहकारिता के क्षेत्र में काम आगे बढ़ रहा है । इसलिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं ।

महोदय, राज्य सरकार किसानों के हित में कई कार्य कर रही है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2017-18 में खरीफ एवं रबी फसल के लिए अब तक कम-से-कम 11.57 लाख तथा 10.84 लाख किसानों का फसल बीमा कराया गया है जिसे 2018-19 में बढ़ाकर 30 लाख करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है।

महोदय, वित्तीय वर्ष 2017-18 में धान अधिप्राप्ति कार्य 15 नवम्बर से किया जा रहा है। इसके लिए किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है । अब तक 2.86 लाख किसानों का निबंधन किया जा चुका है ... क्रमशः

टर्न-06/कृष्ण/14.03.2018

श्री श्याम बाबु प्रसाद यादव (क्रमशः) महोदय, सरकार द्वारा 20 फरवरी, 2018 तक रैय्यत एवं गैर रैय्यत कृषकों से लगभग 6.18 लाख मे0 टन धान की अधिप्राप्ति कर ली गयी है तथा 711.82 करोड़ रूपये का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है । महोदय, धान अधिप्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्षों में प्राप्त होनेवाली राशि पर निर्धारित ब्याज की दर को 9 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है जिससे पैक्स एवं व्यापार मंडलों को 11 प्रतिशत का ब्याज 8 प्रतिशत पर कैश क्रेडिट ऋण प्राप्त हो सकेगा । महोदय, सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में धान की अधिप्राप्ति से प्रारंभ करने एवं नमी में कमी लाने हेतु 100 समितियों तथा व्यापार मंडलों को ड्रायर लगाने एवं प्राप्त धान के प्रसंस्करण हेतु 90 समितियों में चावल मिल सह ड्रायर की स्थापना की योजना है । सरकार द्वारा त्रिस्तरीय सहकारी समितियों के माध्यम से सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम चरण में वैशाली, समस्तीपुर, बेगुसराय, नालन्दा एवं पटना जिले में प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों का गठन कर अभी तक 83 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों का निबंधन कराया जा चुका है । महोदय, सरकार द्वारा पैक्सों, व्यापार मंडलों में 2 लाख टन भण्डारण क्षमता वृद्धि हेतु 200 मे0टन, 500 मे0टन एवं 1000 मे0टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिये उप समितियों को 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत चक्रिय पूंजी के रूप में उपलब्ध कराने हेतु योजना की स्वीकृति दी गयी है । महोदय, अभी तक 487 गोदामों में से 149 गोदामों एवं 80 चावल मिलों में से 27 मिलों का निर्माण किया जा चुका है । महोदय, सरकार द्वारा पैक्सों, व्यापार मंडलों में 2 एम0टी0 प्रति घंटा मिलिंग क्षमता के 80 विद्युत आधारित चावल मिल ड्रायर सहित की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत चक्रिय पूंजी उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी है । महोदय, सरकार पैक्सों को बेहतर काम करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री आर्दश पैक्स प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पैक्सों को क्रमशः 10.75 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी ताकि वे अपने कार्यों में वृद्धि कर सके । साथ ही साथ 1 हजार पैक्सों का प्रथम चरण में कंप्यूटराईजेशन कर उन्हें सॉफ्ट वेयर एवं हार्ड वेयर उपलब्ध कराया जायेगा ।

महोदय, सरकार द्वारा राज्य में 45 शहरी अंचलों में 1 दिसंबर, 1917 में ऑन लाईन दाखिल, खारिज प्रारंभ कर दिया गया है तथा 1 अप्रैल, 2018 से पूरे राज्य में ऑन लाईन विधि से दाखिल, खारिज वादों को निष्पादन, भू-लगान भुगतान एवं भूस्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था प्रारंभ करने जा रही है।

महोदय, सरकार द्वारा रैय्यतों को राजस्व नक्शा आसानी से उपलब्ध कराने के लिये मात्र 150 रूपये के भुगतान पर राज्य के अंदर 40 स्थानों पर एवं राज्य के बाहर 2 स्थानों पर दिल्ली एवं मुम्बई में नक्शा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है । महोदय, सरकार द्वारा राज्य के सभी अंचलों में डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण कराया जायेगा । यहां अंचल से संबंधित सभी प्रकार के भूअभिलेखों एवं राजस्व से संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जायेगा एवं आमलोगों को समय पर उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा । अभीतक राज्य के 330 अंचलों में इसका निर्माण संपन्न हो चुका है । महोदय, सरकार द्वारा भूअर्जन की प्रक्रिया के अन्तर्गत मुआवजा का निर्धारण की कार्रवाई को पारदर्शी बनाने के उद्‌देश्य से जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है । मुआवजा के भुगतान की प्रगति की अनुश्रवण हेतु ऑन लाईन पोर्टल की व्यवस्था की गयी है । महोदय, राज्य सरकार प्रदेश में उद्योग लगाने की दिशा मे भी अग्रसर है । अबतक बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति,2016 लागू के बाद जनवरी,2018 तक 718 निवेश प्रस्तावों में से 596 पर स्टेज-1 क्लीयरेंस प्रदान की गयी है तथा इसमें 8884.86 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावित हैं ।

महोदय, खाद्य प्रसंस्करण में 292 इकाईयां, ऊर्जा की 8 इकाईयों एवं सिमेंट उद्योग की 3 इकाईयों का निवेश प्रस्तावित है । 30 इकाईयां कार्यरत हो गयी है । महोदय, राज्य सरकार क्षेत्रों में विकास की ओर अग्रसर है । महोदय, मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं । महोदय हमारे विधान सभा क्षेत्र में पिपरा है, जिसमें एक मेहसी ब्लौक है, उस मेहसी ब्लौक में शीप बटन का उद्योग है, जो बिहार का धरोहर है। जापान से उसका टेकनिक आया था और देश ही नहीं विदेशों में वह बटन जाता है । मैं माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं, बिहार की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जितने शीप बटन की फैक्ट्रियां हैं, वह मृतप्राय हो चुके थे, दो कलस्टर थे, उन्होंने कलस्टर को राशि भिजवाने का काम किया है ताकि वह उद्योग चल सके । वहां एक बाथना कलस्टर है और एक मेन मेहसी कलस्टर है, उनको राशि भिजवाने का काम किया है और अब वह उद्योग चालू हो गया है । काम शुरू हो गया है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना

चाहता हूं कि वहां एक और समिति है मेहसी शीप बटन स्वावलंबी समिति का गठन हो गया है और उस समिति की तरफ से 10 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट बनकर सहकारिता विभाग में आया हुआ है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उस प्रोजेक्ट की स्वीकृति देने की कृपा करेंगे और महोदय, मैं बता दूं कि भारत सरकार आज किसानों के प्रति बहुत जागरूक है । वह चाहती है कि हमारे किसानों की आमदनी दुगना कैसे हो । मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और कृषि मंत्री आदरणीय राधा मोहन सिंह जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं । महोदय, हमारा घर पिपरा कोठी के नजदीक में पड़ता है । वहां एक किसान विद्यापीठ हुआ करता था । हम किसान परिवार से आते हैं । वहां हुआ करता था कि किसानों को उन्नत खेती करने की विधि सीखाने के लिये बिहार से बाहर भेजा जाता था, एक साल से नंबर लगाया जाता था कि किसान बाहर से ट्रेनिंग करके आयें और उन्नत विधि से खेती करें । मैं बधाई देना चाहूंगा भारत सरकार के साथ-साथ बिहार सरकार को कि आज जिला स्तर पर नहीं, पंचायत स्तर पर नहीं, प्रखंड स्तर नहीं नहीं बल्कि गांव स्तर पर भी कृषि वैज्ञानिक जाकर आज किसानों के बीच में ट्रेनिंग दे रहे हैं और किसान उन्नत विधि से खेती करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं । महोदय, मैं और बता दूं कि स्वायल हेल्थ कार्ड की बात करूं । आज स्वायल हेल्थ की बात बताता हूं । महोदय, आजादी बाद पहली बार भारत की सरकार किसानों पर ध्यान दे रही है । पहले होता क्या था ? जब हम बीमार पड़ते थे तो मैं अपना दवा करवाता था, जब हमारे बाल-बच्चे बीमार पड़ते थे तो हम उनकी दवा करवाते थे ।

(व्यवधान)

लेकिन महोदय, खेत की मिट्टी पर कोई ध्यान नहीं देता था । लेकिन मैं बधाई देता हूं आदरणीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी को और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को जिन्होंने स्वायल हेल्थ कार्ड बनवाने का काम किया ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त कीजिये । माननीय सदस्य श्री सिद्धार्थ ।

टर्न-7/सत्येन्द्र/14-3-18

श्री सिद्धार्थ: सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से मुझे अपनी बातों को रखने का अवसर प्राप्त हुआ । आज सहकारिता विभाग का दिन है और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूँ । बिहार में सबसे बड़ी आबादी किसानों की है, पूर्ण आबादी का दो तिहाई लोग आज कृषि से आधारित है और सभी लोगों का किसी न किसी रूप से पैक्सों से जुड़ाव

है । मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि आप एक ऐसा सकुर्लर लाईए कि जो भी किसान पैक्स में अपना धान दे रहा है, वह आगामी समय में पैक्स का मेम्बर हो और वोट देने का भी उसे पावर मिल सके, इससे पैक्स हमारा जो बिहार का है वह और मजबूत होगा । हर व्यक्ति का जुड़ाव का जब पैक्स से होगा तो निश्चित रूप से जागृति होगी और किसान में अगर जागृति होगी तभी वह अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए आगे बढ़ेगा । दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या है कि हर पंचायत में गोदामों का निर्माण हो । सहकारिता विभाग को अपने बजट में संशोधन कर के एक ऐसा प्रावधान लेना चाहिए कि पंचायत स्तर पर, हर पंचायत में पैक्स को एक गोदाम मुहैय्या कराया जा सके । इससे जो आज धान लेकर के इधर से उधर पैक्स दौड़ रहा है ट्रक पर, कम से कम इस पर भी लागाम लग सकेगा । सभापति महोदय, दो दिन पहले भी मुझे अवसर मिला था । मैंने सदन के माध्यम से सरकार को यह सूचित किया था कि बिहटा में जो गोदाम है एस0एफ0सी0 का, वह अभी भी चावल गिराने का अनुमति नहीं दे रहा है । बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सदन में इस बात को उठाने के बाद आज 48 घंटे बीत गये हैं, अभी तक बिहटा गोदाम में चावल गिराने की अनुमति नहीं दी जा रही है और सारे पैक्स ट्रक पर लेकर धान चावल इधर से उधर दौड़ रहे हैं । यह सदन की भी दुर्भाग्य की बात हॅ । दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज न्यूनतम लक्ष्य दे दिया गया है । एक तरफ सरकार का ही सकुर्लर आया है, आपके एम0डी0 का लिखा हुआ चिट्ठी आया है कि इस बार धान की उत्पादकता विशेष हुई है तो फिर न्यूनतम लक्ष्य क्या है ? सरकार को यह बताना होगा किसानों को कि सरकार शत प्रतिशत धान अधिप्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है । आपको ध्यानाकर्षण मैंने 28 तारीख इस सदन के माध्यम से दिया था और माननीय मंत्री जी ने यह अवगत कराया था कि पटना जिला में 34 हजार किसानों ने पंजीकृत कराया है धान को धान बेचने के लिए और मात्र 12 हजार किसानों का धान अधिग्रहण 28-2-18 तक किया जा सका है जो 50 परसेंट से भी ये कम है, नवम्बर से लेकर फरवरी तक यह रेसियो है और धान अधिप्राप्ति का समय मुश्किल से अब दो हफ्ता बचा हुआ है, अगर इस न्यूनतम लक्ष्य को अविलम्ब बढ़ाया नहीं गया तो निश्चित रूप से किसानों का धान बिचौलियों के हाथ में जायेगा और कालाबाजारी शुरू हो जायेगी । आप देख लीजिये कि आज पटना में डी0सी0ओ0 जो हैं, पिछले 10 दिन के इस धान अधिप्राप्ति के समय में भी अवकाश पर है । क्या माननीय मंत्री जी ये देखना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी पटना डी0सी0ओ0 ज्वायन करे या उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाय । आज किसानों को बोरा तक नसीब नहीं हो रहा है डी0सी0ओ0 के अवकाश में रहने के कारण ।

महोदय, एक बड़ा मुद्दा है और उसे मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज पाटलीपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक जो है, एक तरह से निष्क्रिय हो गया है । पिछले वर्ष तक जो भी पैक्स धान, चावल देता था एस0एफ0सी0 को, उसी समय उसको एसेप्टेंस रसीद दिया जाता था और उस एसेप्टेंस रसीद को को-ऑपरेटिव बैंक में दिखलाया जाता था तो उसका सी0सी0 एकाउन्ट बढ़ा दिया जाता था लेकिन इस वर्ष से इस व्यवस्था को भी रोक दिया गया है । क्या कारण है कि इस व्यवस्था में बदलाव लाया गया है, क्या को-ऑपरेटिव बैंक को पूर्व की तरह ही सी0सी0 एकाउन्ट बढ़ाना चाहिए ? यह एक साईकिल है अगर साईकिल रूकेगा तो निश्चित रूप से धान अधिप्राप्ति का जो मकसद है, वह कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता है । एक दशक पहले तक को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से किसानों को ऋण दिया जाता था, के0सी0सी0 दिया जाता था, बहुत से ऐसे उपकरण थे जो खेती से जुड़े हुए हैं वह खरीदने के लिए लोन दिया जाता था, बीज दिया जाता था, खाद दिया जाता था लेकिन आज सारा को-ऑपरेटिव बैंक निष्क्रिय हो चुका है वह समाप्ति की दिशा में बढ़ रहा है। यह एक बहुत बड़ा विषय है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अविलम्ब सारे पैक्सों का सी0सी0 एकाउन्ट बढ़ाया जाय। एक और बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या आज विक्रम व्यापार मंडल में है, विक्रम व्यापार मंडल में बी0सी0ओ0 रिटायर कर गया इस कारण 31 जनवरी के बाद किसी भी किसान का कोई भी पैसा पेमेंट नहीं किया गया है, दो महीना हो गया, डेढ़ महीना हो गया, किसी भी किसान का पेमेंट नहीं किया गया है इसलिए अविलम्ब इस पर ध्यान दिया जाय, निश्चित रूप से व्यापार मंडल में किसानों की भरपाई की जाय । एक और पूरे बिहार की समस्या है, एक सबसे बड़ी समस्या जो है वह हमारे प्रखंड में भी है, यह 2014-15 का है । धान अधिप्राप्ति पहले होता था तो एस0एफ0सी0 को धान लिया जाता था उसके बाद लाल पर्ची मुहैय्या की जाती थी, विक्रम में जो पैक्स है जिन्होंने धान अधिप्राप्ति करा दिया, लाल पर्चा भी ले लिया लेकिन मिलर के लारवाही से, मिलर के बदमाशी के कारण धान की जो उपलब्धता होनी चाहिए थी मिल में नहीं था । मेरा कहना है कि किसानों का तो इसमें कोई दोष नहीं था, उन्होंने तो अपना धान सहकारिता के माध्यम से मिलर को सौंप दिया, मिलर ने क्या किया, नहीं किया, मिलर पर एफ0आई0आर0भी हुआ, यह भी ठीक है लेकिन मिलर के बहुत ऐसे लोग हैं जो फरार चल रहे हैं या बेल ले लिये, किसानों को तो उसका मुआवजा नहीं मिल पाया । मैं सदन के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि गहराई से इसकी जांच हेतुएस0आई0टी0 गठन किया जाय जो भी किसान ने अपना धान एस0एफ0सी0 या सहकारिता को सौंपा है, उसे उसका मुआवजा

निश्चित रूप से मिलना चाहिए । महोदय, साल भर मेहनत कर के किसान जो उपजा रहा है, अगर सरकार उसकी भी अनदेखी करेगी, उसका भी नहीं भरपाई करेगा तो क्या ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता नहीं है । आज भी 2854 क्वि0धान ऐसा है बल्कि और ज्यादा ही है जिसका कि लाल पर्ची लेकर पैक्स घूम रहा है और उसी चीज का पैसा नहीं मिला है । यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे निश्चित रूप से दिखलाया जाय । कितने बार मैंने भी प्रधान सचिव को और माननीय मंत्री जी को लिखा है लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दा को भी विशेष रूप से देखा जाय और इस पर उचित कार्रवाई की जाय । आज बिहार में पिछले एक दशक से कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं खुली है जिसके माध्यम से आज बेरोजगार नौजवानों को किसी भी किसी रूप में रोजगार मुहैय्या हो सके । आज हमारे हिन्दुस्तान में 40 प्रतिशत से ज्यादा युवाओं की आबादी है । मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार सरकार अथवा केन्द्र सरकार कौन सी ऐसी उपलब्धि लेकर आयी है, कौन सी ऐसी योजना लेकर आयी है जिससे शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को आज रोजगार मिल सकेगा । क्या सरकार का इसी तरह से रबैया होना चाहिए । आप बिहार में इंडस्ट्रीलाईजेशन की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और एक भी इंडस्ट्रीज यहां आने के लिए तैयार नहीं है । क्या इसके लिए प्रयास नहीं किया जाना चाहिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीलाईजेशन बिहार में बढ़े और यहां इतनी बड़ी आबादी जो आज बिहार से पलायन करके हरियाणा, पंजाब और दूसरे दूसरे राज्य में अपना रोजी रोटी पाने के लिए जा रही है इस पर अंकुश लग सके । नालंदा जिला से बाहर की बात करना सिखिये विधायक जी, सिर्फ नालंदा जिला ही बिहार नहीं है । आपके जिला में तो जरूरत से ज्यादा लग गया, बिहार की जनता अब नालंदा से बाहर भी जवाब मांगेगी । इन सभी बातों को रखते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ ।

श्री शिवचन्द्र राम: सभापति महोदय, आपके माध्यम से इनको कह देना चाहते हैं कि :

कल चमन था, आज इक सेहरा हुआ, कल चमन था आज इक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का ये चर्चा हुआ ।

सभापति महोदय, आज सहकारिता विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और अनुदान मांग के विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, आज जिस तरीके से सहकारिता पर चर्चा हो रही है, इस राज्य के लिए नहीं बल्कि देश के लिए बहुत बड़ी चीज है। आज अखबारों और टी0भी0 पर

दिखलाई जा रही है और हमको लगता है कि माननीय मंत्री जी आज अपने भाषण में भी बड़ी बड़ी बातें करने का काम करेंगें। (क्रमश:)

टर्न-8/मधुप/14.03.2018

...क्रमश:....

श्री शिवचन्द्र राम : लेकिन सही रूप में यह कृषि प्रधान राज्य है और आज जो स्थिति बनी हुई है सहकारिता के क्षेत्र में, जिस तरीके की जो समस्याएँ हो रही हैं, इसमें हम कहना चाहते हैं कि अगर किसान जिन्दा नहीं है तो हम भी जिन्दा नहीं हैं । जिस राज्य का किसान अगर खुशहाल नहीं है, उस राज्य की जनता भी खुशहाल नहीं है। यही वे किसान हैं जिनके लिये सहकारिता का निर्माण किया गया था, उनके डेवलपमेंट के लिये कि जब किसान जिन्दा रहेगा तो वहाँ की आवाम जिन्दा रहने का काम करेगी । लेकिन आज दुख हो रहा है सभापति महोदय, जिस तरीका से सहकारिता को बनाकर लोगों ने रखने का काम किया है, ऐसी परिस्थिति में किसान जिस तरीका से आत्मदाह कर रहे हैं । अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि देश के इतिहास में, तो देश के इतिहास में तो यही हुआ कि जब से सरकार आई है चाहे वह यहाँ की सरकार अभी हो चाहे केन्द्र की सरकार हो, जितनी इनके शासनकाल में किसान ने आत्महत्या किया है, उतना किसी के शासनकाल में किसान ने आत्महत्या करने का काम नहीं किया है । आज क्या स्थिति है ? पैक्सों की जो स्थिति बनी है, सबसे डेवपल समाज और गाँव का डेवलपमेंट.....

(व्यवधान)

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : कृपया बैठ जायं ।

श्री शिवचन्द्र राम : सभापति महोदय, पैक्स जो बनाया गया है, इस पैक्स की स्थिति में आज 8463 पैक्स हैं, बिहार के विकास की जहाँ तक बात हो रही है और लोग विकास की बात करते हैं, 3962 पैक्स घाटे में चल रहे हैं । जो स्थितियाँ बन रही हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या विकास की बात हो रही है ? यह हम नहीं कहते हैं । आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, इस आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि यहाँ पर 3962 पैक्स हैं जो घाटे में चल रहे हैं । यही नहीं, सभापति महोदय, पैक्स का टोटल मिलाकर 175 करोड़ इसकी आय है लेकिन इसमें जो बकाया ऋण है, वह कितना है 500 करोड़ । कैसे डेवलप कर सकता है? जिसकी आमदनी 175 करोड़ हो और उसमें खर्च 500 करोड़ हो, ऋण हो तो आप बताइये कि उस राज्य का विकास क्या हो सकता है ? राम भरोसे हिन्दु होटल की बात हो रही है । जो स्थितियाँ बनी हैं । यही नहीं, पैक्स के सुधार के लिये नाबार्ड ने भी पहल करने का काम किया था, नाबार्ड ने पहल किया था कि पैक्स

को अगर सही मायने में इस राज्य के उस गॉव और गवई में रहने वाले किसानों को आप सुविधा देना चाहते हैं तो बहु सेवा केन्द्र की स्थापना करनी चाहिये । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बहु सेवा केन्द्र की स्थापना हुई ? हुई तो कहॉ-कहॉ हुई और कितने जगहों पर यह काम कर रही है ? यही नहीं, आज इनके माध्यम से बहु सेवा केन्द्र होता, इसके माध्यम से ऋण मिलता, लोगों को खाद-बीज मिलता और लोगों को समय-समय पर प्रोत्साहित करने के लिये मेले लगाये जाते, कई एक कार्यक्रम होते, हाट लगाये जाते और इसके माध्यम से किसान का विकास होता । लेकिन यह अभी तक कुछ नहीं हो सका ।

साथ-ही-साथ, धान की सबसे बड़ी समस्या है । जो परिस्थितियॉ अभी आ रही हैं, उस परिस्थिति के मुताबिक धान खरीदने का दाम 1550 रू0 रखा गया है और उसमें नमी की बातें की गई है कि 19 प्रतिशत नमी जब होगा तब धान की खरीदगी की जायेगी, उससे ज्यादा होगा तो नहीं खरीदा जायेगा । लेकिन अगर सही मायने में किसानों का भला चाहते हैं । अगर किसान के लिये कुछ करना चाहते हैं तो इसको बढ़ाना पड़ेगा । हो क्या रहा है ? कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिससे धान डायरेक्ट खरीदा जा रहा है । सभी जगह व्यापारी धान बेच रहा है, बिचौलिया धान खरीद रहा है और खरीद करके वह सप्लाई कर रहा है । यह धान बिहार में नहीं, बिहार का धान यू0पी0 जा रहा है, यू0पी0 में जाकर बंगाल जाने का भी काम कर रहा है । यह स्थिति है । इसपर कहीं कोई चिन्तन और मंथन नहीं हो रहा है । जो सबसे बड़ी बिहार की हमारी समस्या है, इसपर विचार सरकार को करना चाहिये । इसके लिये चिन्तन और मंथन नहीं हो रहा है, जो किसान के मेहनत से, किसान की ताकत से, इस जमीन को खोदकर खून और पसीना से हमें जो किसान जिन्दा रखने का काम कर रहा है, आज वह रो रहा है, कलप रहा है, चित्कार कर रहा है । सभापति महोदय, उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, सिर्फ लम्बा-लम्बा भाषण करने का काम कर रहे हैं ।

इसलिये मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीका से किसानों को रूला रहे हैं, उन्हें जिस तरीका से तड़पा रहे हैं, यह कहा गया है, महाभारत और रामायण में भी कहा गया है - गरीब सताये तीन गये, धन, धर्म और वंश

न मानो तो देख लो, रावण, कौरव और कंस ।

वही हाल तो नहीं होने वाला है !

(व्यवधान)

आप पर भी आ रहे हैं, माननीय मंत्री जी । महोदय, यह स्थिति बनी हुई है । यही नहीं, सभापति महोदय, जो स्थितियॉ बन रही हैं, 2016-17 में जो धान की खरीद हुई 18 लाख 36 हजार मि0टन लेकिन अभी युवा हमारे मित्र भी हैं और

मंत्री भी हैं, अभी जो इनका रिपोर्ट हमको मिला है, उस रिपोर्ट के आधार पर 20 फरवरी, 2018 तक का मात्र 6 लाख 18 हजार मि0टन धान खरीदी गई है । यही तो विकास और डेवलपमेंट की बात हो रही है । इसीलिये हम चाहते हैं कि जितनी भंडारण क्षमता बढ़ाई गई है धान खरीद के लिये, हमारी जो भंडारण क्षमता है, जो रखना चाहिये, इसके लिये 65 लाख मि0टन की आवश्यकता है जिस तरीका से बिहार में किसान हैं, जिस तरीके का उपज हमारे यहॉं हो रहा है । लोग उपज करते हैं, मेहनत करके धान को उपजाते हैं तो उनके रख-रखाव के लिये भंडारण की आवश्यकता 65 लाख मि0टन था लेकिन इनके पास मात्र कितना है, ये कह रहे हैं कि हम धान खरीद रहे हैं, धान खरीद रहे हैं तो आप रख कहॉं रहे हैं ? 65 लाख मि0टन का भंडारण क्षमता की हमें आवश्यकता है और इनके पास भंडारण की मात्र व्यवस्था 28 लाख मि0टन की है । हम पूछते हैं कि फिर कहॉं जा रहा है गरीब किसानों का वह धान ? कहॉं जा रहा है ? कहॉं भेज रहे हैं? यही नहीं, आज की तिथि में जिस तरीका का अभी एक प्रधानमंत्री....

श्री भोला यादव : महोदय, हम व्यवस्था पर हैं । सदन चल रहा है, हमारे साथी भाषण दे रहे हैं और माननीय मंत्री सब सदन में गपशप में मशगूल हैं । चार मंत्री एक साथ गपशप कर रहे हैं । ये सदन के प्रति गम्भीर नहीं हैं । आपका संरक्षण चाहिये ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : बैठ जाइये ।

श्री शिवचन्द्र राम : सभापति महोदय, किसानों का एक और सवाल है । इसपर चिन्तन और मंथन करना चाहिये माननीय मंत्री जी को और उम्मीद इनसे हमको ज्यादा है । जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, यह किसानों के लिये है । कब कहा जाता है ? जब मात्र दो से तीन दिन बचता है तो जो किसान सलाहकार होते हैं, उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि आपलोग एप्लाई करिये, यह फसल बीमा योजना है । अब बताइये सभापति महोदय, यह सरकार की कैसी नीति है ? उसमें क्राइटेरिया दे दिया गया है कि करेन्ट रसीद हमको चाहिये, एल0पी0सी0 चाहिये, आधार कार्ड चाहिये और साथ ही साथ बैंक का खाता भी चाहिये । दो से तीन दिन का समय मिलता है इसमें किसान कहॉं-कहॉं अपना यह सब कर सकता है ? मुख्यमंत्री जी अभी यहॉं नहीं हैं लेकिन मुख्यमंत्री जी को हम याद दिला देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी एक बार कहे थे, भाषण में कहने का काम किये थे कि हलका कर्मचारी जो है, हलका भर का जमीन का कागजात अपने पॉकेट में लेकर चलने का काम करता है।

...क्रमशः ....

टर्न-9/आजाद/14.03.2018

..... क्रमशः .....

श्री शिवचन्द्र राम : तो यह स्थिति बनी हुई है, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं । आज की जो स्थितियां बन गई है, इनके हल्का कर्मचारी पूरे राज्य में क्या इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताने का काम करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूॅ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूॅ कि हल्का कर्मचारी पूरे बिहार में लगभग हम समझते हैं कि 2हजार से ज्यादा नहीं हैं । जबकि पंचायत बाई पंचायत एक हल्का कर्मचारी चार-चार पंचायत के चार्ज में है तो बेचारा किताब जेब में लेकर नहीं चलेगा तो क्या करेगा, ऑफिस खोलकर बैठने का काम करेगा ? कहां जायेगा वह गरीब, किसी को एल0पी0सी0 बनाना है तो वह किसके यहां जायेगा ? रिपोर्ट कराने के लिए किसके यहां जायेगा, यह स्थिति बन गई है । यही नहीं एस0सी0/एस0टी0 के लिए भी जो है, इसमें जो प्रावधान रखा गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, उन लोगों के बस्ती में कोई जाने वाला नहीं है । उनको कहने वाला नहीं है, उनको समझाने वाला नहीं है कि आपका भी प्रतिशत इतना है और इस तरीके से इस कार्यक्रम को करने की जरूरत है । आज के डेट में परिस्थितियां हैं, चाहे वह डिजल अनुदान का हो, चाहे मक्का का मामला हो, इन तमाम जगहों पर किसानों का शोषण हो रहा है सभापति महोदय, कोई देखने वाला नहीं है। डिजल अनुदान में वही व्यवस्था है । आप जो है कि लाईए और आप उसको बढ़ाईए । किस चीज पर करें, कागज मांग रहे हैं और कागज के लिए हम हल्का कर्मचारी के यहां जाते हैं, हल्का कर्मचारी नहीं मिल रहा है और उस बेचारे से मिलते हैं तो कहता है कि मैं क्या करूं, एक आदमी हैं और हमको पॉच पंचायत का भार मिला हुआ है । बराबर पूछियेगा तो वह कहता है कि हम उस पंचायत में हैं । यह हाल तो सरकार की है, यह हाल तो इनके व्यवस्था का है । यही नहीं ये जो ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री जी किसान समागम हुआ था । किसान समागम में मुख्यमंत्री जी बोले थे कि किसान का जो फसल बीमा योजना है, वह किसानों के हित का नहीं है बल्कि कम्पनी के हित का है । यह कहने का काम किये थे । माननीय मंत्री जी, आपको इसपर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है । उन्होंने स्वीकार करने का काम किया था, जिस राज्य के मुखिया इस चीज को स्वीकार करते हों, उस राज्य के किसानों का क्या भला हो सकता है ? यह नहीं कि बीमा कम्पनी के बारे में सभापति महोदय, इसलिए उन्होंने कहने का काम किया चूॅकि बड़ी आश्चर्य होता है कि 1120 करोड़ रू0 कम्पनी को लाभ होता है । साल में जो कम्पनी है, जो बीमा करने का काम कर रहा है, वैसे कम्पनी को 1120 करोड़ रू0 का लाभ होता है और कितने किसानों को लाभ होता है मात्र 347 किसानों को लाभ इससे होता है

और उस बीमा कम्पनी को लाभ 1120 करोड़ रू0 है । यह सरकार की मिलीभग कम्पनी के साथ है । मिलीभगत होने के कारण किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों को शोषित करने का काम किया जा रहा है और इस तरह से किसानों को बर्बाद किया जा रहा है । यही नहीं आज के डेट में जो स्थिति बन गई है, महादलित की बात हो रही है। सभापति महोदय, दलित की बात हो रही है लेकिन हम माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यहां पर बैठे हुए हैं । इनको भी सोचना चाहिए और इनको आज इसपर मंथन और चिंतन करने की जरूरत है । आज जो महादलितों की हालत बनी हुई है, इसके लिए योजना सरकार ने लाने का काम किया था । जहां भी महादलितों की बस्ती है, उस दलितों के बस्ती में जो पगडंडी रास्ता है, वह रास्ता चाहे जिस कीमत का हो, उसे खरीद करके उस गरीब की बेटी डोली जो कहीं उतर जाता है, वह उसके दरवाजा तक जाय, यह उसके लिए किया गया था । पूरे बिहार के तमाम जिलों में पैसा जस का तस पड़ा हुआ है । कहीं कोई सुधि लेने वाला नहीं है और कोई उस गरीब को देखने वाला नहीं है, इसपर भी माननीय मंत्री जी को विचार करने की जरूरत है । पूरे बिहार में कितने जिला में इनका पैसा है और खर्च क्यों नहीं हो रहा है और वह पैसा कब से पड़ा हुआ है ।

यही नहीं सभापति महोदय, सरकार ने यह निर्णय किया था कि सरकार किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए, किसानों के डेवलपमेंट के लिए किसानों का जो है, चाहे वह खाद का मामला हो, चाहे बीज का मामला हो, चाहे जिस चीज का मामला हो, वह तमाम जो है किसानों के सुख-सुविधा का मामला हो, उसके लिए एक प्लान और उसके लिए एक जगह का निर्माण करने की बात आयी थी, जिसके लिए कहा गया था सहकार भवन बनाने का । सहकार भवन प्रत्येक जिला में बनाने की बात चल रही थी कि सहकार भवन हम बनाने का काम करेंगे लेकिन आज तक किसी भी जिला में नहीं बना है, इसके बारे में माननीय मंत्री जी बताने का काम करेंगे कि अभी तक किस-किस जिला में इन्होंने सहकार भवन बनाने का काम किया और कौन-कौन जिला का सहकार भवन बना तो वहां काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें पदाधिकारी हैं या नहीं हैं, उसमें कर्मचारी हैं या नहीं हैं कि वह ऐसे ही ढहकर गिर रहा है, यह स्थिति बनी हुई है।

दूसरी बात है सभापति महोदय, जो काम है, जो पैक्स वाले हमारे हैं, पैक्स घाटे में क्यों जा रहे हैं, वे इसलिए जा रहे हैं कि उसका रख-रखाव और देख-रेख करने वाला कोई लोग नहीं है । आज के डेट में यह निर्णय लिया गया था कि जितने भी पैक्स हमारे हैं, सभी को हम जनवितरण प्रणाली का दुकान देने का काम करेंगे ताकि पैक्स के माध्यम से जो गरीब हैं, चाहे वह चावल लेने वाला

हो, चाहे वह गेहूँ लेने वाला हो, चाहे जो सुविधा गवर्नमेंट के तरफ से जनवितरण प्रणाली के दुकान के माध्यम से मिलता है, उसको देने की जरूरत थी । वैसी स्थिति के लिए आज भी 70 प्रतिशत लोग ही जनवितरण प्रणाली के दुकान चला रहे हैं और 30 प्रतिशत जो है पैक्स के अध्यक्ष जो है, वे दुकान नहीं चला रहे हैं। इसपर भी मंत्री जी को विचार करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?

यही नहीं आज के डेट में किसानों का विकास कैसे हो सकता है ? हमारा जो बैंक है, उस बैंक में आज सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक तो आप चला रहे हैं हर जगह पर आपका सहकारी बैंक है । बैंक में काम चल रहा है लेकिन उसमें सहकारिता आन्दोलन कैसे बढ़ सकता है , उसका डेवलप कैसे हो सकता है, आगे वह कैसे बढ़ सकता है, इसके लिए निश्चित रूप से सरकार को कुछ करनी चाहिए । दोहरी नीति करने से सभापति महोदय, यह किसानों हित में नहीं है, बल्कि उनके अहित में काम होता है । आप सहकारी बैंक चला दिये लेकिन आप जो है क्या कर रहे हैं, आप खाद का पैसा निजी और व्यवसायी बैंक में जमा कर रहे हैं । अनुदान का जो पैसा आ रहा है, डिजल अनुदान का पैसा आ रहा है, इस पैसा को आप कहां दे रहे हैं, निजी और व्यवसायी बैंक में दे रहे हैं । कृषि यंत्र के लिए जो पैसा आ रहा है, यह पैसा कहां दे रहे हैं तो यह पैसा निजी और व्यवसायी बैंक में देने का काम रहे हैं । इस तरीके से आप बताईए कि आप प्राइवेट हो या सहकारी जो व्यवसायी बैंक है, अगर आप चाहते हैं, किसानों का हित चाहते हैं, कॉअपरेटिव का हित चाहते हैं, आपने उसको बनाया है तो वहां पर निश्चित रूप से आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए कि चाहे वह खाद का मामला हो, चाहे बीज के लिए पैसा आता हो, कृषि यंत्र के लिए पैसा आता हो, चाहे डिजल अनुदान का पैसा आता है, चाहे फसल क्षति बीमा का पैसा आता है तो सहकारी बैंक में किसानों के प्रति थोड़ा सा भी सरकार सजग है तो यह पैसा जो है, वह सहकारी बैंक में जमा होनी चाहिए । इस तरीके का व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी ।

सभापति महोदय, ऐसा ही नहीं दूसरा मामला है व्यापार मंडल का । जो व्यापार मंडल की स्थितियां बन गई है, व्यापार मंडल जो है, वह बिल्कुल जहां का तहां पड़ा हुआ है । न सही से वहां पर स्टाफ है, न सही से वहां पर उनके मैनेजर हैं, न सही से वहां पर कुछ काम हो रहा है और बैठ करके सिर्फ वहां पर कुछ लोग चुनिन्दे लोग जो आते हैं और चुनिन्दे लोग आकर के इस तरीके के कार्यक्रम को करते हैं । लेकिन क्यों और यही नहीं जब वहां पर जाईए व्यापार मंडल में कि हम व्यापार मंडल का मेम्बर बनना चाहते हैं तो व्यापार मंडल का मेम्बर बनने के

नाम पर वहां कहा जाता है कि सरकार ने रोक लगाने का काम किया है । माननीय मंत्री जी यह तो कीजिए कि कोई भी गरीब है, जो दबे-कुचले-शोषित हैं, जो भी चाहता हो कि हम व्यापार मंडल का मेम्बर बनें तो उसको कम से कम मेम्बर बनने का जो है, उसको फैसिलीटीज मिलनी चाहिए और उनको मेम्बर बनाना चाहिए । सरकार इसपर रोक क्यों लगायेगी और आज जब सब व्यवस्था ऑनलाईन हो रहा है तो उस तरह से हमारे पूर्ववर्त्ती मंत्री आदरणीय श्री आलोक कुमार मेहता जी को बधाई हम देना चाहते हैं जिन्होंने अपने समय में वैसे लोग थे, जो पैक्स में किसी को मेम्बर नहीं बनाते थे, नाम देख-देख करके, चेहरा देख-देख करके उसमें जो है मेम्बर बनाया जाता था लेकिन श्री आलोक कुमार मेहता जी ने अपने समय में ऑनलाईन शुरू करने का काम किया, जो हमारे मंत्री ने इसकी शुरूआत की । जिससे सभी लोग जो लोग चाहते थे, वे लोग इसमें सदस्य बनने का काम किये हैं। इस तरीके से जो तमाम स्थितियां बन गई हैं, आज व्यापार मंडल का खास्ता हाल है । उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसपर भी कम से मंत्री जी को इसपर विचार करने की जरूरत है ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री शिवचन्द्र राम : महोदय, एक मिनट । हम माननीय मंत्री जी से एक सवाल करना चाहते हैं, इनका एक बहुत बड़ा किसानों के लिए था कि हम उद्योग के रूप में करेंगे । हम भागलपुर में बटेर पालन, वैशाली में केला का चिप्स का उद्योग लगाने के लिए फुड रैपिंग प्लांट बनाना था, चम्पारण में गन्ना, गुड़ एवं शक्कर उद्योग की बात हुई थी । दूसरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैक्स प्रोत्साहन नीति की बात की थी, क्या यह सब काम हो रहा है ? कहीं कोई काम यह सब नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है । इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरीके से धान की खरीद होती है, उसी तरह से गेहूँ की भी खरीद होनी चाहिए, मक्का का भी खरीद होनी चाहिए, तेलहन और दलहन का भी खरीद होनी चाहिए । सभापति महोदय, ...

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार जी।

श्री शिवचन्द्र राम : सभापति महोदय, एक मिनट ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप बैठ जाईए ।

श्री शिवचन्द्र राम : सभापति महोदय, एक मिनट :-

सोच बदलो सितारे बदल जायेंगे,
नजर बदलो नजारे बदल जायेंगे
किश्ती बदलने की जरूरत नहीं,

दिशा बदलो किनारे बदल जायेंगे ।

धन्यवाद सर ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार जी । आपका समय 5 मिनट है।

टर्न-10/अंजनी/दि0 14.03.18

श्री जिवेश कुमार : सभापति महोदय, मैं पांच मिनट में ही अपनी बात रखने का प्रयास करूँगा । मैं सबसे पहले आसन को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं अपने नेता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया । महोदय, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, सबका साथ-सबका विकास, न्याय के साथ करने के लिए । हम अपने विपक्ष के साथियों को कहना चाहते हैं कि आप घबराइए नहीं, हमारे पास जो मंत्री हैं, उनका नाम है राणा रणधीर, जो रणधीर है, वही वीर है और जो वीर है, वही रणविजय बनेगा । आप चिंता मत करिए और आप जो जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए उनके पास अमृत पहले से ही रखा हुआ है, इसलिए आप चिंता मत करिए, धैर्य से सुनने की कोशिश कीजियेगा । (व्यवधान) अररिया में तो आप अपना ही कूड़ी उठा लिए, अपना हिस्सा उठाकर इतराते काहे को हैं, सो बताइए । हमारा छीन लेते तब हम आपको मानते । महोदय, सहकारिता गांव-घर, खेत-खलिहान के समग्र विकास सहकारिता के साथ करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भी एक बात कहा कि रोटी भगवान है और रोटी पैदा करनेवाला किसान भगवान और अल्लाह से बढ़कर है । महोदय, में धन्यवाद देता हूँ वर्तमान सरकार को कि इस चिंतन पर चिंता करते हुए सहकारिता विभाग को मजबूती प्रदान करने का काम किया है । आज ये विपक्ष में हैं, इनका विरोध करना धर्म है लेकिन पिछली बार इन्होंने सदन में क्या कहा, आज यहां पांच मिनट वक्तव्य देने के पहले विधान सभा के द्वारा जो लाइब्रेरी बना है, उसमें पढ़ लिये होते तो इनको इस बात का अहसास होता कि 6 महीना पहले उन्होंने क्या-क्या कहा है सरकार के लिए । हुजूर, मैं सदन के सबसे बड़े वरिष्ठ सदस्य अभी सदन में नहीं हैं, माननीय रामदेव बाबू, पिछले बजट में उन्होंने कहा था, मैं उनकी बात कोट करता हूँ । मैं मानता हूँ कि वर्तमान सरकार का हमारा शासन-काल जय सरकार, जय नीतीश सरकार की है और इन दोनों का समन्वय भी यह वर्त्तमान सरकार है और यह संवैधानिक ढांचा पर चल रही सरकार है, निश्चित रूप से इसे आन्दोलन के रूप में लिया जाये । महोदय, शिवचन्द्र बाबू बोलकर चले गये, हमें बड़ी उम्मीद थी कि वे सदन में रहते तो हमारी बात को

सुनते, 6 महीना पहले वे मंत्री थे, 20 महीना मंत्री रहे सरकार में और एक भी स्टेडियम उनसे नहीं बना है । स्टेडियम के नाम पर ठन-ठन गोपाल और ज्ञान बांट रहे थे अभी बैठकर सदन में, जब मौका मिला तो स्टेयरिंग फेल हो गया उनका और दूसरे को अभी ज्ञान बांट रहे थे तो सदन में उनको रहना चाहिए था बाकी बात सुनने के लिए । हुजूर, हम मिथिलांचल से आते हैं, मंडन मिश्र की धरती से, मईया जानकी की धरती से आते हैं, हमारे यहां एक कहावत है चलनी दूसलन सूप के जिनकर अपने बहत्तर गो छेद । ये लोग बोल रहे थे सरकार को जो 20 महीना बैठकर समय पास करने वाले लोग, सरकार के किसी भी नीति को धरती पर नहीं उतारने वाले लोग, हमको तो बड़ा ताज्जुब होता है कि कैसे लोग रूप-रंग बदल लेते हैं । हुजूर, कुछ जरूरी और गंभीर विषय के तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि माननीय भोला बाबू जी बैठे हुए हैं, चाहिए बहुत कुछ और ये कटौती पेश करते हैं, हम तो समझते हैं कि यह परम्परा है कटौती पेश करने का, आपको तो बढ़ोत्तरी पेश करना चाहिए था कि किसानों को कुछ दीजिए और बढ़कर के । कटौती काहे पेश कर रहे हैं । माननीय भोला बाबू को आसन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आप प्रतिपक्ष में हैं, बाकी जगह तो विरोध करते ही हैं, इसका नाम है सहकारिता और इसके नाम से ही परिलक्षित होता है, इसका मतलब है सहयोग । तो आप विपक्ष में हैं लेकिन कभी-कभी सहयोग भी किया कीजिए और सरकार के गति को आगे बढ़ाइए ।(व्यवधान) हुजूर, इस सदन में लिखा हुआ है कि संसदीय लोकतंत्र मे विरोधी दल भी सरकार के अंग माने जाते हैं । हुजूर, हम तो इनको अपना अंग मानते हैं लेकिन पता नहीं क्यों रूसे-रूसे से रहते हैं, फूले-फूले से रहते हैं । पता नहीं सरकार के अन्दर इनको क्या आनन्द आ रहा था, हमलोग तो काम करने वाले लोग हैं और आप हमको काम करने दीजिए...

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): अब आप समाप्त करें ।

श्री जिवेश कुमार : में कुछ अपनी बात जाले विधान सभा क्षेत्र की तरफ माननीय कर्मठ मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ । भोला बाबू, आपका दरभंगा भी आयेगा, बैठ जाइए । भोला बाबू, हम आपके दरभंगा की भी चिंता कर रहे हैं, आप बैठ जाइए ।(व्यवधान) हुजूर, माननीय मंत्री जी कर्मठ हैं, यंग हैं, नौजवान हैं और हम तो कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है । विचलित मत होइयेगा । यह सब आपके पीछे चलने वाले हैं । हुजूर, मैं जाले विधान सभा की कुछ बात एक मिनट में रख देना चाहता हूँ । जाले विधान सभा दुग्ध उत्पादन में अग्रणीय है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि एक सुधा डेयरी का प्रोजेक्ट वहां पर स्थापित किया जाय, साथ-ही-साथ, सिंघवाड़ा एवं जाले

में दो कोल्ड स्टोरेज की स्थापना वहां किया जाय । दरभंगा जिले में गैसी फाइड सहित मखाना प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाय । मखाना उत्पादन में दरभंगा अग्रणीय है, । हम चाहेंगे कि उसपर आपका विशेष ध्यान रहे ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): अब आप समाप्त करें ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, अभी पटना, नालन्दा, चार-पांच जिला को मिलाकर आपने सहकारी सब्जी उत्पादन सहकारी संघ का गठन किया है, उसमें समस्तीपुर भी है । यह आपने पहला किया है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि दूसरा कर दीजिए दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, हमलोग खुब सब्जी उपजाते हैं और सबको खिलाते हैं, इसलिए वहां पर इसकी स्थापना कर दीजिए, बड़ी मेहरवानी होगी ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री सीताराम यादव जी।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, अब तो मेरा समय समाप्त हो गया तो आपका सम्मान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ ।

श्री सीताराम यादव : सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, कृषि प्रधान यह राज्य है । यहां की अधिकतर आबादी कृषि पर अपना जीवन-यापन निर्भर करता है और कृषि सहकारिता से जुड़ा हुआ है । किसानों का विकास, कृषि का विकास सहकारिता से ही संभव है । महोदय, मैं ब्लौक में मुखिया रहा हूँ, ब्लौक में प्रमुख रहा हूँ, हमलोग देखे हैं कि सहकारिता से, कोऑपरेटिव से किसानों को पैसे मिलते थे, खाद मिलता था और किसान खेती करते थे और फिर अगहन में धान कटनी के बाद पैसा चुकता करता था । जब कभी-कभी अकाल या बाढ़-सुखाड़ हो जाय तो किसानों की कर्ज माफी भी कर दी जाती थी, परन्तु आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सहकारिता नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । ऐसे विभाग में, जहां कुछ कर्मचारी, अधिकारी उसमें काम कर रहे हैं, उनको वेतन दिया जा रहा है, भत्ता दिया जा रहा है । किसानों से जुडे हुए कोई भी समस्या का निदान या किसानों के हित की बात कोऑपरेटिव से नहीं हो रहा है । कहीं कृषकों के बीच कोई लोन का वितरण नहीं हो रहा है । हमने देखा है कि पहले कोऑपरेटिव बैंक से तेल की पेराई, गेहूँ-धान की कुटाई, आंटे की पिसाई, लकड़ी मिल, ईंट का भठ्ठा इन सारे ग्रामीण उद्योग पर नौजवानों को कर्ज दिया जाता था और उसको नौजवान चलाते थे लेकिन सब कुछ ध्वस्त हो गया । कोऑपरेटिव के माध्यम से नौजवानों को बेरोजगारी दूर करने के लिए कोऑपरेटिव बनाकर बस भी दिया जाता था लेकिन आज कुछ नहीं है । धान की खरीदारी का जो भार दिया गया, कृषकों के जो उपज हैं, उसका भारत

सरकार के द्वारा जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, उसने धान का दाम तसफिया किया, गेहूँ का दाम तसफिया किया, जो कृषकों की उसकी अपनी उपज मिले, वह लूट का जरिया बन गया है ।

(क्रमशः)

टर्न-11/शंभु/14.03.18

श्री सीताराम यादव : क्रमशः.....किसानों को लूटा जा रहा है, धान तौला लिया जायेगा और उसकी कीमत किसानों को नहीं दिया जा रहा है । माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध होगा कि आप इसको देखिए । सीताराम बाबू हमारे मित्र थे, परमप्रिय हमलोगों के बड़े भाई के रूप में थे, आप उनके अंश हैं आपसे बड़ी उम्मीद सदन को है माननीय मंत्री जी । हम तारीफ की बात नहीं करते न पक्ष विपक्ष की बात करते हैं । जो असलियत है हमसे ज्यादा आप जानते होंगे और झूठफूस का हल्ला हंगामा में समय बर्बाद कीजिए वह नहीं, किसानों के हित की बात है, नौजवानों के हित की बात है । आज कृषि उत्पादित जो वस्तु है, जो जिंस है उसपर नौजवानों को छोटा-छोटा उद्योग धंधा लगाने के लिए कॉपरेटिव बैंक को लोन देना चाहिए । हम मधुबनी, दरभंगा के लोग आलू उपजाते हैं । आलू का चिप्स लेज आजकल हमलोग देख रहे हैं कि बिक रहा है, मुश्किल से एक आलू का चिप्स उसमें रहता होगा और वह बनता है 30 रू0 में 20 रू0 में - वह बनता है कहां तो दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में- कच्चा माल पैदा हम करते हैं । हमारा बिहारी श्रम उसमें लगता है और हमारा बिहार उसका आज बाजार बना हुआ है । मंत्री महोदय, मूंग, मसूर पैदा हम करते हैं और वह मूंग, मसूर चला जाता है राजस्थान में, हल्दी राम भुजिया में, भीकाजी के भुजिया में यह पूरी दुनिया में मशहूर है । आज हमारे नौजवान को आप लोन देंगे, मशीन हमारे यहां बैठेगा, हम पैदा करेंगे, मूंग कच्चा माल हम पैदा करते हैं और वह चला जा रहा है राजस्थान, श्रम है बिहार का, कच्चा माल बिहार का और हम बाजार बने हुए हैं । इतना ही नहीं मधुबनी, दरभंगा का आम दुनिया में मशहूर है मंत्री महोदय और मैंगो फ्रूटी, मैंगो जूस बनता है बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में- क्या हमारे नौजवान को काम नहीं दिया जा सकता है कॉपरेटिव बैंक से । पहले चलता था आप उस चीज को पढ़िए । उस चीज को देखिए । आप लगाइये नौजवान को लोन दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए । जो मैंगो फ्रूटी है, जो मैंगो जूस है वह मधुबनी, दरभंगा में बनेगा आप वह चीज दीजिए । यह हम आपसे निवेदन करेंगे और कॉपरेटिव को जिंदा कीजिए, कॉपरेटिव मर गया है- धान खरीद लिया जाता है और किसानों को उसका पैसा नहीं दिया जाता है । टकटकी लगाकर बिचौलिये धान की खरीदारी तीन महीने, चार महीने, पांच महीने देर से होती है जो विशुद्ध किसान है उसके

आय की स्रोत वही उपज है । वही धान बेचकर के साल भर का उसका बजट निर्भर करता है । वही बेचकर कपड़ा, लत्ता, दवा, बूढ़े मां बाप की देखभाल, सेवा सुश्रुषा, बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई, मालगुजारी, पटौनी, शादी विवाह, श्राद्ध सारे साल भर का बजट उसका उसी पर निर्भर करता है । आप कहते हैं कि धान अभी कच्चा है । अरे अगहन में काटते हैं तो कब वैशाख में धान की कटनी होगी और क्या 1550 रू0 सफीसियेंट दाम है धान का ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सभापति महोदय । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से और बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ चूंकि ये लोग बहुत ढिंढोरा पीटते हैं कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं । क्या न्याय यही है ? आप सभी माननीय सदस्य जनता के प्रति हम सब लोग समर्पित हैं । उनकी सेवा, उनकी हिफाजत, उनके उपज का उचित दाम- आज जो किसानों के हालात हैं, जो अन्नपूर्णा के संतान की हालत हो गयी है, उनके साथ जो गरीबी, बेकारी, बेचारी है- बिआई फटा हुआ, पेट धंसा हुआ, गाल चिपटा हुआ, आंख बैठा हुआ । 10 बीघा जमीन जोतने वाले से खुशहाल एक चाय, पान का गुमटी चलानेवाला है । 50 बीघा जमीन जोतने वाले से ज्यादा खुशहाल आज कोई चौकीदारी और दफादारी की नौकरी करनेवाला उससे ज्यादा खुशहाल है । यह जमाना किसानों का नहीं है, यह जमाना गांव का नहीं है, गरीब का नहीं है, अन्नपूर्णा के संतान आज आपके तरफ टकटकी लगाये हुए हैं । उनके हालात में तब्दीली कैसे होगी ? उनके हालात में परिवर्तन कैसे होगा ? इस सदन में बैठे हुए यह पवित्र मंदिर है, झूठफूस की खेती नहीं होनी चाहिए । किसानों के साथ, गांव के साथ, गरीब के साथ, कृषि पर आधारित जो लोग हैं उनके साथ आज क्या अन्याय, अत्याचार हो रहा है हम सबको इसको देखना चाहिए । लोग तो इस तरफ के उस तरफ और उस तरफ के इस तरफ जाते रहेंगे, लेकिन हम देश सेवा, समाज सेवा, गरीबों की सेवा, किसानों की सेवा, मजदूरों की सेवा हम इसके लिए लाये गये हैं । आप आज उधर हैं, कल इधर आयेंगे और तैयारी भी शुरू हो गयी है । आज आपने जो देखा है....अच्छा रहिये, जनता नहीं रहने देगी । आप चाहेंगे कि रहें, लेकिन नहीं रहने देगी । आज आपको झलक दिखा दिया गया है- अनुकम्पा में आप चाहते थे । आप कहते थे कि उत्तर प्रदेश से देखिए, फुलपुर और गोरखपुर । माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की कुर्सी छीन ली गयी है, बोलने से नहीं होगा, आप कहते थे सुनिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कहते थे कि आर0जे0डी0 वाले जीते तो मेरे सहयोग से जीते, मैं आज किसके सहयोग से जीता हूँ जवाब आपसे चाहता हूँ ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : विषय पर बोलिये ।

श्री सीताराम यादव : आज आप जहानाबाद में सरावगी जी समय आ रहा है व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है । अरे आप जहानाबाद में लड़े हैं और कहां गयी आपकी लोकप्रियता, अररिया में लड़े हैं, तमाम जगह घूमे हैं आपके मुख्यमंत्री, मंत्री और

मेरे नौजवान आप जिनको अनाड़ी कहते हैं, नौसिखिया कहते हैं । हम ऐसे सेनापति के सेनापतित्व में लड़े हैं कि ध्वस्त कर दिये हैं आपके सारे किला को, सीख लीजिएगा गाल बजाने से नहीं चलता । सुबह बता देता है कि शाम कैसी होगी और लिफाफा बता देता है कि अंदर मजमून कैसा होगा- ख्याल कीजिएगा, होश में आइयेगा । महोदय, आपका लाल बत्ती जल गया, लाल बत्ती से तो हम डरते हैं, आपका सम्मान करते हैं, बहुत सारी बातें कहने की थी और जीवेश भाई से हम एक चीज कहना चाहते हैं कि आपने उस दिन मुझसे कहा था कि अब कहू मन केहन लगेइये, ढेढ़ी नीचा दरद करइये । महोदय, क्षमा चाहता हूँ ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य लक्ष्मेश्वर राय जी । आपका समय 10 मिनट है ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : सभापति महोदय, सहकारिता विभाग के बजट पर हम सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हैं । महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है । वर्तमान में बिहार एक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक दौर से गुजर रहा है । विगत कुछ वर्षों में बिहार अपनी मानव संसाधन के बल पर एक अभूतपूर्व मुकाम हासिल किया है । जिसमें राज्य सरकार के कुशल आर्थिक प्रबंधन और सामाजिक योजनाओं की भूमिका अद्वितीय है । राज्य के सहकारी आंदोलन का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से समावेशी विकास आवश्यक है ।

क्रमशः

टर्न-12/अशोक/14.03.2018

श्री लक्ष्मेश्वर राय : क्रमशः... इस कड़ी में समाज के वंचित वर्ग, छोटे उत्पादकों एवं महिलाओं के समूहों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पयुक्त है । राज्य के आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र है । सहाकारिता विभाग राज्य के किसानों के हित में कृषि रोड मैप के माध्यम से वर्त्तमान सामाजिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिवेश में सहकारित को और अधिक प्रासंगिक एवं सफल बनाने हेतु प्रयत्नशील हैं । महत्वपूर्ण आधार ग्रामीण क्षेत्र ही है, जिसकी उपेक्षा कर सशक्त सुन्दर बिहार की निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती है । ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहकारिता की अहम भूमिका को ध्यान मे रखते हुये, सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी नीतियों में व्यापक पारिवर्त्तन लाया गया है। जन उपयोगी बनाने के लिए अनेक संस्थागत नीति में बदलाव भी किये गये हैं। वर्त्तमान में जो दस साल या बारह साल पहले बिहार के कृषकों की जो स्थिति थी, हमको लगता है, उसमें भारी बदलाव हुआ है । आज कृषि प्रधान राज्य में कृषकों की जी तोड़ महेनत से पैदा किये धान अधिप्राप्ति नहीं होने

के कारण सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनत्तम मूल्य का लाभ कृषकों को नहीं मिल पाता था । लेकिन अभी किसानों का अपना धान बाजार में औने-पौने दाम में बेच देने की विवशता थी परन्तु वर्त्तमान सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति व्यवसाय को गंभीरता से लिया गया, जिसके कारण आज धाान की अधिप्राप्ति व्यवसाय की कुशलता, पारदर्शी ही नहीं बल्कि उचित समय पर सहकारी समितियों का इस अधिप्राप्ति व्यवसाय में सक्रिय हो जाने से धान का सामान्य मूल्य भी बढ़ गया है और सीधा लाभ राज्य के कृषकों को मिल रहा हैं । सहकारिता विभाग के द्वार बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है । पंचायत से प्रखण्ड स्तर पर पैक्स एवं व्यापार मंडल को मजबूती प्रदान और क्षमतापूर्ण गोदाम का भी निर्माण किया जा रहा हैं । इसमें पंचायत और प्रखण्ड स्तर पर भंडारण एवं विपणन क्षमता का सृजन हो रहा हैं । खासकर के राज्य के सहकारी संस्थाओं की आर्थिक व्यवसाय कुशलता प्रदान के लिए चावल मील, ड्रायर की स्थापना हो रही हैं, इससे राज्य सरकार की प्रबिद्धता स्पष्ट झलक रहा है । विकास विकेन्द्रीकृत कर पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर कृषकों को आत्मनिर्भर एवं व्यापार कुशल बनाया जा रहा है । पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर लघु उद्योग लगाने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेगा, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम का पलायन भी रूकेगा इसलिए यह मेरा सुझाव होगा कि धान बाहुल्य पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर......

(व्यवधान)

महोदय, सहकारिता केवल एक आंदोलन ही नहीं है अपितु जन उपयोगी जीवनशैली भी है...

(व्यवधान)

महोदय, सहकारिता केवल एक आंदोलन ही नही है, अपितु जन उपयोगी जीवनशैली भी है । अधिकाधिक लोगों को सहकारिता से जोड़ने के लिए लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक परिवार से न्यूनत्तम एक व्यक्ति को पैक्स का सदस्य बनाया जाय । सदस्यता हेतु इच्छुक व्यक्तियों को, सहकारिता के सदस्यता के लिये ऑन लाईन आवेदन की सुविधा वेबसाईट पर दिया गया है । यह उत्साहजनक जानकारी है । 1.30 लाख व्यक्तियों ने इस ऑनलाईन सुविधा का उपयोग किया है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) :शांति, शांति । कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : कृपया बैठ जायं । शांति, शांति । माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, लगता है कि जंगल राज का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिये । महोदय, हम तो डर जाते हैं इधर से, हम अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, सभापति महोदय, इधर से उठते हैं तो हमलोग डर जाते हैं, अति पिछड़ा को बड़ा भय है इन्हीं से, महोदय, अति पिछड़ा हम हैं, हमको बहुत डर लगता है इधर से । ये लोग तुरत जंगल राज वाला प्रभाव दिखलाने लगते हैं ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) :माननीय सदस्य, शांति रहें । आपस में टोका-टोकी मत करें, बैठ जायं ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, बहुत उत्साहित हैं ये लोग, अभी ये ट्रेलर दिखला रहे हैं । उप-चुनाव परिस्थिति है, जनता समझ रही है, जनता झांसे में आने वाली नहीं है ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : आप अपनी बातों पर आइये । कृपया शांत हो जायं ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : सभापति महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सोच के चलते समग्रता विकास का रूप झलक रहा है, चाहे विकास का कोई क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो सभी जगह विकास की परिछाई और रूप दिखलाई पड़ती है । उसमें सहकारिता विभाग जो कल तक लगता था कि एक संस्था है, आज सहकारिता में कृषि रोड मैप के रूप में एक प्रस्ताव आया कि चाहे फसल की क्षति हो चाहे गोदाम का निर्माण का सवाल हो, इसलिये निश्चित रूप से बिहार की परिस्थिति बदल रही है । सभापति महोदय, बिहार की परिस्थिति बदल रही है । अब बिहार में लोग लाठी नहीं देंखना चाहता है, हुजूर लोग विकास देखना चाहता है और खास करके बिहार के लोग विकास के लिए चाहते हैं कि लोग विचार विमर्श करे । इसी परिप्रेक्ष्य में सहकारिता विभाग पर आज बहस हो रहा हैं, चाहे कृषि रोड पर हो, चाहे फसल को खरीदने का सवाल हो, आज लोग खुश हैं कि जो कौओपरेटिव एक संस्थागत रूप में हो गया था आज किसानों के हित के लिए, चाहे फसल स्टोरेज के लिए और जो भी अत्याधुनिक सुविधा है सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, खास करके आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का जो वातावरण बना है सभापति महोदय, लगता है बिहार हरएक क्षेत्र में बिहार हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, बिहार की स्मिता, बिहार का दृष्टिकोण भी बदल रहा है, बिहार

के लोग चाहते है, बिहार के लोग चाहते हैं कि हमारा जो बिहार है, बिहारीपन है.......

(व्यवधान)

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : कृपया आपस में बातचीत करना बंद करें ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, अति पिछड़ा को ये बोलने देना नहीं चाह रहे हैं । महोदय, खास करके प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी जो अभी क्षतिपूर्त्ति है.....

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : अब आपका समय समाप्त हो गया ।

टर्न-13/ज्योति/14-03-18

श्री आनन्द शंकर सिंह: सभापति महोदय, मुझे एवं राजस्व एवं भूमि सुधार एवं सहकारिता विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । महोदय, मैं सर्वप्रथम तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने देव और औरंगाबाद की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग- देव को राजकीय मेला घोषित करने की मांग, उसको राजकीय मेला घोषित किया उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन दूसरी ओर अंचल कार्यालयों की जो व्यवस्था है, चाहे वह अंचलाधिकारी, अमीनों की कमी हो, राजस्व कर्मचारियों की कमी हो महोदय, यह विभाग गुणा भाग का विभाग बन कर रह गया है । जिस प्रकार से एक एक अंचलाधिकारी के प्रभार में दो दो, तीन तीन अंचल है, उसी प्रकार से आप, राजस्व कर्मचारियों का देखेंगे, तो तीन तीन चार चार प्रभार क्षेत्र उनको मिला हुआ है । कहीं न कहीं आम आवाम को इससे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है । ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मामले अगर होंगे, तो इसी विभाग में होंगे और मामले को सलटाने की जगह टालने की रवैया अपनाता है, यह विभाग और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है, अभी एक ज्वलंत मुद्दा हमारे क्षेत्र में औरंगाबाद जिले में, आपलोगों ने सुना होगा, बी.आर.बी.सी.एल. एन.पी.जी.सी. की दो दो परियोजनाएं हैं, वहाँ और जमीन अधिग्रहण के मामले में जिसप्रकार से सी.बी.आई. का छापा पड़ा है, वह तो केवल एक मामला था । एक आदमी गोपाल प्रसाद, सासाराम का और नवीनगर के गोपाल प्रसाद के नाम पर दो करोड़ 60 लाख रुपया निकाल लिया गया, निकासी कर ली गयी और पन्द्रह दिनों के अंदर में उसके खाते से एक एक पाई को निकाल लिया गया और वह पैसा अजय सिन्हा करके नवीनगर का, अफसर का एक बहुत ही अगर देखा जाय, तो हर दिल अजीज हैं, उनका कारनामा इसी से पता चल जायेगा कि नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के

तरफ से सी.एस.आर. के तहत स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है और वह अजय सिन्हा कोई भी प्रतिनिधि जन प्रतिनिधि भी नहीं है और उसका नाम शीला पट पर अंकित किया जाता है । कितने करीबी होंगे साहेब के, अफसर के कितने करीबी होंगे, उनके हरेक प्रोग्राम में साहब सिरकत करते थे और आज जब उनके एकान्ट्स से तीस लाख रुपया एकाउन्ट से एकाउन्ट ट्रांसफर तीस लाख रुपया हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि यह तीस लाख रुपया कहॉं गया होगा । यह सारा फोटो औरिजनल है और महोदय, मैं यह दावा करता हूँ, चार महीना पहले मैंने प्रेस कौंफ्रेस करके यह बताया था कि राज्य सरकार की हजारों एकड़ जमीन को रैयतीकरण करके अपने लोगों को फायदा पहुंचाते हुए, वह पचास प्रतिशत राशि स्वयं अफसर लोग आपस में गटक गए हैं, इसकी जॉंच होनी चाहिए महोदय और एक जगह यह मामला नहीं है, अभी तो यह मामला बी.आर.बी.सी.एल. से निकल कर आया है। एन.पी.जी.सी. की परियोजना है वहॉं पर, एन.पी.जी.सी. दाउदनगर में स्वयं पुल का निर्माण कर रही है, वहॉं पर यह स्थिति है । कृषि की जमीन को आवासीय घोषित करके चार गुणा मुआवजा दिलाकर आधे आधे पैसे का बंटवारा किया गया है । सुशासन की सरकार और जीरो टौलेरंस की सरकार यह हमलोगों को एक तरीके से, अगर ये मुझे जो समझ में आता है, राज्य सरकार को कम्पलेन करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गयी, ऐसे अफसर पर और अन्ततः सी.बी.आई. का छापा पड़ता है, छापा पड़ने के बाद अफसर का तबादला हो जाता है और संयुक्त सचिव बना दिया जाता है ग्रामीण कार्य विभाग में । अगर उनपर दाग लगे थे, तो उनको क्यों नहीं ससपेंड किया गया ? सरकार क्या दिखाना चाहती है आम आवाम को, बिहार की जनता में क्या संदेश देना चाहती है । एक तरफ जीरो टौलेरेंस की सरकार, सुशासन की सरकार और दूसरी तरफ दागी अफसर को ट्रांसफर करके संयुक्त सचिव का पद दिया जा रहा है । यह कहॉं तक उचित है । महोदय, ए.सी.सी. का मामला है सोन में, जो पुल बन रहा है दाउदनगर में, वहॉं पर कृषि योग्य भूमि को आवासीय बनाकर चार गुणा पैसा दिलवाकर और अगर नहीं यकीन है, तो ए.सी.सी. का जो मैनेजर हैं श्रीनिवास राव, उसके पर्सनल खाते की जॉंच करा ली जाय कमिटी के द्वारा, बीस से तीस परसेंट एडवांस में चेक ले लिया जाता था, किसानों द्वारा इसकी जॉंच करायी जाय । सी.ओ. दो लाख रुपये के घूस लेते हुए पकड़े गए जमीन अधिग्रहण के मामले में, ठीक औरंगाबाद दाउदनगर के सी0ओ0 । महोदय, किस प्रकार से शासन चल रहा है ? अगर इसकी जॉंच करवायी जाय, तो अरबों का घोटाला समझ में आयेगा और यह चार महीना पहले मैंने प्रेस कौंफ्रेंस के माध्यम से यह सूचना दी थी । मेरे पास यह

एकाउन्ट नंबर है पड़ा हुआ, गोपाल प्रसाद के एकाउन्ट नंबर से अजय सिन्हा के एकाउन्ट नंबर में 29-5-2017 को दस दस लाख करके तीन बार ट्रांजैक्शन हुआ । महोदय, जॉच का विषय है, जहॉ तक बात है एम0पी0जी0सी0 की, मैं खाता और प्लौट नंबर के साथ में महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि खाता नंबर 75, प्लौट नंबर 705, रकबा -सवा एकड़, मौजा रहरा में भीम सिंह के पिता स्वर्गीय सिनेश सिंह बनाम सूबा सिंह की जमीन खरीदगी हुई, वो 2.5 एकड़ जमीन बेच दिया गया और 1.25 एकड़ जमीन का स्वयं भीम सिंह भुगतान भी ले लिए, जब सवा एकड़ जमीन थी, तो सवा एकड़ का भुगतान भी ले लिए और ढाई एकड़ जमीन भी बेच दिए उससे । दूसरा है खाता नंबर 17 प्लौट नंबर 64, 65 और 69 मौजा चौराही, शमशेर सिंह पिता भीम सिंह 1.89 एकड़ जमीन है और 3.89 एकड़ जमीन का मुआवजा लिया गया । महोदय, ये बड़े पैमाने पर हुआ है । खाता नं0 75 प्लौट नं0 705 एवं 701 रकबा 1.71 एकड़ मौजा-रहरा एक पूर्व सैनिक और उसके भाई जो भारत चीन सीमा पर कार्यरत है, जमीन का भुगतान उसकी जमीन पर फर्जी कागज बनवाकर गणेश्वर सिंह नाम के व्यक्ति ने सारा का सारा उसका मुआवजा ले लिया । महोदय, मामला जब कि उच्च न्यायालय में पेंडिंग था, उसके बावजूद भुगतान किया गया । महोदय, यह सिलसिलेवार ढंग से इसकी जॉच करायी जाय और बड़े चेहरे इसमें खुलासा होगा और बहुत बड़े बड़े लोग हैं महोदय, जांच करवा कर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाय । यही मेरा आग्रह है । रही बात सहकारिता विभाग की, तो नवयुवक हमारे मंत्री जी हैं, मैं आग्रह करुंगा कि यह पत्रांक अनुमंडल लोक शिकायत कार्यालय, औरंगाबाद का पत्रांक 553 दिनॉक 1-11-2017 को, पोखराहा पैक्स का यह मामला है । इन लोगों को कच्ची रसीद देकर, किसानों का धान अधिप्राप्ति कर लिया गया और आज तक उन लोगों का पेमेंट नहीं किया गया है जबकि ये अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया है -''संभवतः प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा यह विहित प्रपत्र में प्राप्ति देने की जानकारी नहीं दी गयी है । परिवादी का यह कहना है कि पोखराहा पैक्स में उपलब्ध कराये गए धान की राशि का पैसा पैसा बाकी है, सत्य प्रतीत होता है क्योंकि इस संबंध में पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जो आगे की तिथि चेक परिवादी को उपलब्ध कराया गया है, इससे भी यह परिलक्षित होता है कि धान अधिप्राप्ति में सहकारिता विभाग के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार धान की अधिप्राप्ति नहीं हुई लेकिन इसके बावजूद भी आज तक उस पैक्स के संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी महोदय, मैं आग्रह

करुंगा कि उसपर कार्रवाई की जाय और किसानों का पैसा जल्द से जल्द दिलवाया जाय । यही मेरा आग्रह होगा । धन्यवाद ।

सभापति (श्री हरि नाराण सिंह) : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी ।

श्री भाई विरेन्द्र : सभापति महोदय, इस लूट में जदयू के एक राज्य सभा के मेम्बर हैं वही इसमें किंग पीन है । वही वसूली करवाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री के बगल में बैठते हैं । हुजूर, कहीं न कहीं संलिप्तता तो है ।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी, आपका समय मात्र दो मिनट है ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, हमको 5 मिनट आज करना चाहिए । महोदय, भूमि सुधार विभाग जब बहस में भी नहीं आ रहा है, सरकार ने इसको छुपा दिया है । लम्बे समय से विभिन्न तरीकों से जमींदारों ने सारी भूमि को छुपा लिया, उसी तरह से सरकार ने भी इस विभाग को बहस से भी छुपा लिया और उस पर बहस कराने की हिम्मत नहीं कर रही है । मैं कहना चाहता हूॅं कि विकास की बात आप करते हैं, विकास तब ही होगा, जब तक आप भूमि सुधार नहीं करेंगे, तो विकास की बात करनी बेमानी होगी । किसी कीमत पर विकास संभव नहीं है । भूमि सुधार की बात आजादी के समय से होती आ रही है लेकिन यह काम नहीं हुआ है और इसीलिए आपको जापान में जाकर कहना पड़ता है कि हमारे पास सस्ते मजदूर हैं, इसीलिए कहना पड़ रहा है ।

क्रमशः

टर्न-14/14.3.2018/बिपिन

श्री सत्यदेव राम: क्रमशः ... महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि किस तरह से गरीबों के साथ दुर्व्यवहार होता है। महोदय, सरकार का रिपोर्ट आया है और इसमें कहा गया है गरीबों को, महादलितों को आवास विहीन महादलितों को आवास देने की महोदय मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बीस हजार में कहां मिलेगी रैयती जमीन जिसपर सरकार बसा सकती है । यह गरीबों के साथ अपमान है । उनके साथ आपने मजाक किया है । आज ही आप कह रहे हैं कि 44,684 लोगों को आज भी उनको एक झोपड़ी डालने की जमीन नहीं है । महोदय, कितनी शर्मनाक बात है कि आपके शासनकाल में, यह मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट तो गलत है, इससे ज्यादा लोग हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि 44 लाख लोग जिनको झोपड़ी डालने की जगह नहीं है। क्या आपके शासन का उपलब्धि है ? अरे, हम कहना चाहते हैं बड़ा आलीशान मकान है, अगर सुराख होगा तो इसमें हमलोगों का बैठना कठिन हो जाएगा। आपका विकास पूरा नहीं है, अधूरा है । इसलिए मैं आपको चेतावनी के तौर पर कहना

चाहता हूं कि आपने अभी देखा महाराष्ट्र में । आदिवासी किसानों ने किस तरह से भाजपा की सरकार को घेरकर विवश कर दिया कि उनकी सारी मांग मांगनी पड़ी । अगर आप मनमानी करते रहेंगे तो आने वाला दिन वही होगा जो अभी महाराष्ट्र में हुआ है ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): अब आप समाप्त करें ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, 29 मार्च, 2016 को इसी सदन में चम्पारण जिला के गौनाहा प्रखंड के धमौर गांव के सौ बीघा जमीन, रामनगर स्टेट के द्वारा जो सौ बीघा जमीन पर गरीबों को पर्चा मिल चुका था, रामनगर स्टेट ने उजाड़ा । इस सदन में मामला उठा था । हमलोगों ने मांग की थी । सदन ने कमिटी बनाई लेकिन उस कमिटी का रिपोर्ट आज तक नहीं आ सका, उसको दबा दिया गया ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य सैयद अबु दौजाना ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, दो मिनट ।

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): अब समय नहीं है । आप बोलिए ।

श्री सैयद अबु दौजाना: सभापति महोदय, 2018-19 के बजट के कटौती बजट पर मैं बोल रहा हूं । आज बिहार की स्थिति यह हो गई है जब बड़े-बड़े अखबारों में, बड़े-बड़े चैनलों पर एडवर्टिजमेंट देखता हूं कि बिहार विकास की ओर जा रहा है लेकिन 15 साल यह सरकार रही, एन.डी.ए. की सरकार रहने के बाद बिहार की जो स्थिति है, विकास के तरफ बराबर है । आज जो मुझे देखने को मिल ....

(व्यवधान)

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): माननीय सदस्य बैठ जाएं ।

श्री सैयद अबू दौजाना: महोदय, आज कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की स्थिति ऐसी है जो कि आज के दिन जो कोऑपरेटिव का जो हाल हो गया है, उसकी स्थिति बदतर-से-बदतर होती जा रही है । हर साल का बजट बढ़ाता जा रहा हूं लेकिन कोऑपरेटिव का हाल वहीं-का-वहीं रूका हुआ है । आज जो हमारे पास सेंट्रल स्कीम है, उसके प्लान के हिसाब से हमारे यहां 12 परसेंट एक्सपेंडिचर हुआ और स्टेट स्कीम में आपका 62 परसेंट एक्सपेंडिचर है और यह रेस्ट एमाउन्ट जो बच रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि पदाधिकारी इसका गबन करेंगे । फिर एक नया स्कैम होगा बिहार में ।

सभापति महोदय, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, जिस तरह से फेडरेशन का बुरा हाल है, हर विभाग का, जिस तरह कोऑपरेटिव बैंक का इस तरह हाल हो गया है कि आज कोई भी नेशनलाइज बैंक कोऑपरेटिव बैंक का कोई भी ड्राफ्ट एंड चेक को ऐक्सेप्ट नहीं कर रहा है । हमलोगों को इस पर लगना होगा कि कोऑपरेटिव

बैंक को आगे कैसे बढ़ाएं । हमारे माननीय मंत्रीजी हैं नहीं, जा चुके हैं, इनको एक सुझाव देना चाह रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंक को मजबूत किया जाए । सरकार उसमें, आज जो कोऑपरेटिव की स्थिति है, आज कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर महिलाओं को उद्योग लगाने की बात की जाती है लेकिन उद्योग नहीं लगाया गया है। आज कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया गया है । महिलाओं को गांव, पंचायत में आज पापड़ है, दनौरी है, तिसिऔरी है, चिप्स है, इन सारी चीजों का उद्योग लगाने की बात की जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर । आज जो हमलोगों के यहां माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं, बिहार में इंडस्ट्रीज का जो हाल है वह भी बंद के कगार पर आ गई है । मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जापान गए हैं, किसी भी बड़ी कंपनी के साथ कोलेब्रेशन करके बिहार में बड़ी इंडस्ट्रीज लाएंगे लेकिन हमलोग सिर्फ अखबारों में देखे । एक बार और मुझे बहुत खुशी हुई कि मॉरिशस से शायद इंडस्ट्रीज लेकर, बिहार में मॉरिशस से मंत्रीजी वहां बिहार में लाने के लिए, लेकिन कोई भी इंडस्ट्रीज बिहार में नहीं आई । बिहार में सिर्फ अखबार और चैनलों में देखते हैं कि बहुत विकास हो रहा है । न रोड के मामले में विकास हो रहा है, न शिक्षा के मामले में, किसी चीज में बिहार में विकास नहीं हुआ है । शिक्षा का यह हाल है कि हमारे यहां टीचर जो बहाल किए गए हैं, जो उनको किसी तरह से नॉमिनेट कर लिया गया जो टैलेंटेड नहीं हैं । टीचर की बहाली होनी चाहिए बी.पी. एस.सी. के माध्यम से । सारी चीजों की बात बता रहा हूं कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का जो हाल है, आप देख रहे हैं, इनको, मैं मंत्रीजी को इतना सुझाव देना चाहता हूं कि जो हमारे गांव के किसान, गरीब बेचारे जो सब्जी उपजाते हैं, उनके लिए, जो बच जाती है सब्जी, उनके रख-रखाव का भी कोई इंतजाम नहीं है । उसके लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर, कोऑपरेटिव मंत्रीजी को मैं कहना चाहूंगा कि उन गरीब किसानों के लिए साग-सब्जी जो उपजाते हैं, उनकी जो बच जाती है सब्जी, उनके रख-रखाव के लिए कोई एक पुख्ता इंतजाम किया जाए । जिस तरह हर जगह, अदर स्टेट में जिस तरह मैं महाराष्ट्र में देखता हूं, कर्नाटक में देखता हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर जिस तरह आज सुधा कोऑपरेटिव दूध का बूथ है, उस तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर बूथ का इंतजाम कर दें कि जहां साग-सब्जी बेचने के लिए लोगों को सुविधा होगी । रोड किनारे जो लोग हॉकर लगाकर बेचते हैं उससे हमलोगों का भी बुरा हाल होता है । इस तरह स्टॉल बना दिया जाए ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी से उस तरह सब्जी बेचने का इंतजाम किए जाएं लेकिन सरकार इसमें सोचती नहीं है । यह सरकार, एक ही चीज है, सिर्फ अखबारों में आना चाहती है, टी.वी. पर आती है कि हम विकास कर रहे हैं लेकिन यह सब छोटी-छोटी बातें हैं जिसको देखा जाए तो उसका विकास किया जा सकता है लेकिन

सरकार के कान पर एक जूं भी नहीं रेंगती है । तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि कम-से-कम कोऑपरेटिव विभाग को आगे बढ़ाएं । यहां जो फेडरेशन के बिल्डिंग का हाल देख रहे हैं कि सूअर, जानवर सब चलता रहता है दिन भर, वहां भी कोई सुविधा नहीं है । तो इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर लोगों के विकास की बात करने खाली आती है लेकिन विकास होता नहीं है । विकास करने के लिए उनको सोचना, एक विजन चाहिए, विजन नहीं है तो हमलोग मदद करने के लिए तैयार हैं, हमारे जो महागठबंधन के लोग हैं, वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह तो हमलोगों से मदद तो लेते नहीं हैं लेकिन हमलोग देने को तैयार हैं । लेकिन देते हैं तो भाग जाते हैं । तो मैं दो-तीन चीजों पर, सभापति महोदय, मैं कहूंगा कि विकास की बात होती है, इंडस्ट्रीज हमारे यहां बंद हो रही है जो इंडस्ट्रीज थी वह भी बंद हो गई, जैसे, सूगर फैक्ट्री, जो टिमिटमा रही थी एक-दो, वह भी बंद के कगार पर आ गई है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं । एक छोटा-सा मिसाल आप कर्नाटक से से ले लें जो सिर्फ, ऑनली फॉर मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के फंडिंग से वह स्टैंड था लेकिन 2002 के बाद आज कर्नाटक वर्ल्ड के मैप पर आ गया है । वहां एक लगन थी, वहां के मुख्यमंत्री की एक लगन थी कि वहां विकास कैसे किया जाए । सॉफ्टवेयर में बहुत आगे बढ़े । हमारे यहां के बच्चे यहां से माइग्रेट होकर वहां जाते हैं । क्यों नहीं उन्हें बिहार में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दूं कि बिहार के बच्चे बिहार में रह कर बिहार के डेवलपमेंट की बात करें । लेकिन सिर्फ यहां बजट हर साल बढ़ता है, सिर्फ वह खजाने में रहता है और लोग उसपर जिस तरह से सृजन के तरह स्कैम हुआ, फिर इस साल एक नया स्कैम होगा, इस नए बजट के बाद जो बचा हुआ पैसा है, फिर यहां एक नया स्कैम आयगा तो मैं सरकार को आगाह करता हूं कि कम-से-कम बिहार के बच्चों का भविष्य के लिए कुछ छोटी-सी इंडस्ट्रीज तो लगा दें । खाली जापान और मारिशस जाने से काम नहीं चलेगा । इंडस्ट्रीज लाने की बात है । इंडस्ट्रीज लाएं और यहां पर हमलोग उसको चलाएं और हमलोगों का भी बहुत-बहुत सहयोग रहेगा । शिक्षा में भी वही हाल है। इंडस्ट्रीज का भी वही हाल है । कोऑपरेटिव, रोड की, सड़कों का भी वही हाल है। हर चीजों का देख हैं । सात निश्चय की बात आई । दो साल गुजर गया । सात निश्चय में भी एक रोड और नाली नहीं बनी । विकास की बात, कहां विकास हो रहा है ? यह विकास, विकास, विकास, हम समझते हैं कि विकास तो खुद पागल बन चुका है । तो विकास की बात करना ही बेफिजूल है ... क्रमशः

टर्न-15/कृष्ण/14.03.2018

श्री सैयद अबु दौजाना : (क्रमशः) तो विकास की बात करना ही बेफजूल है । सिर्फ अखबारों में ही विकास की बात आती है, कुछ धरातल पर भी उतारा जाय । हमलोगों को गांवों, गलियों में लोगों को जवाब देना पड़ता है, क्या विकास हो रहा है तो कहते हैं कि विकास हो रहा है । आज दो-तीन साल होने जा रहें हैं लेकिन आज विकास वहीं के वहीं रूका हुआ है । तो मेरा सरकार से आग्रह है कि बातें कम करें और काम ज्यादा करें । इसी के साथ मैं आपलोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और खासकर आज महागठबंधन की जीत का सभी विधायकों को मुबारकबाद देता हू और यू0पी0 की भी जीत पर आपलोगों को भी मुबारकबाद देता हूं । धन्यवाद ।

सभापति : माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह जी । आपका समय 5 मिनट है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, आज सहकारिता विभाग के बजट के पक्ष में और आदरणीय माननीय सदस्य श्री भोला बाबू द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । सर्वप्रथम माननीय मंत्री श्री राणा रणधीर जी जो को-ऑपरेटीव के प्रक्षेत्र के आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं और उनके साथ-साथ श्री राम नारायण मंडल, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और माननीय मंत्री उद्योग विभाग एवं साईंस एवं टेकनॉलोजी डिपार्टमेंट श्री जय कुमार जी को बधाई देता हूं । साथ ही मैं माननीय भोला बाबू को भी बधाई देता हूं जिन्होंने आज कटौती प्रस्ताव लाया है और जब उन्होंने भाषण शुरू किया है तो उन्होंने कहा है कि गुजरात में जिस प्रकार से को-ऑपरेटीव का विकास हुआ, वह मोडल बिहार में लाना चाहिए । तो इसके लिए आदरणीय भोला बाबू को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि आपको गुजरात का मोडल पंसद है, गुजरात को-ऑपरेटीव के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, महाराष्ट्र को-ऑपरेटीव के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, महाराष्ट्र और गुजरात के मोडल पर बिहार का भी को-ऑपरेटीव आगे बढ़ना चाहिए । महोदय, बिहार का भी को-ऑपरेटीव आगे बढ़ रहा है और आपने इस बात को सराहा है, इस बात के लिये पुनः एक बार मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं ।

महोदय, को-ऑपरेटीव क्षेत्र में निश्चित तौर से बिहार आगे बढ़ा है । एक दिन था, जब को-ऑपरेटीव कुछ लोगों के पॉकेट में चलता था, कुछ लोगों के झोले में चलता था और 2009 में जब पहली बार को-ऑपरेटीव कुछ लोगों के पॉकेट से निकाल कर समाज के सामान्य लोगों के बीच में लाया गया, को-ऑपरेटीव का चुनाव हुआ, पैक्सों के गठन हुये तब से को-ऑपरेटीव आगे

बढ़ रहा है, सहकारिता विभाग आगे बढ़ रहा है । महोदय, आज सहकारिता विभाग के जिम्मे कई ऐसे काम हैं, जो इस देश के लिये, इस राज्य के लिये अद्वितीय साबित हो रहे हैं । आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो को-ऑपरेटीव बैंकों के माध्यम से लागू किया गया है, जो मात्र डेढ़ प्रतिशत पर रब्बी और 2 प्रतिशत पर खरीफ में प्रधान मंत्री फसल बीमा हो रहा है और जब तक किसान के अन्न उसके घर तक नहीं पहुंच जायं, बीच में अगर उस फसल की किसी तरह से बर्बादी होती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा से उसकी भरपाई होती है । इसलिए पुनः मैं एक बार को-ऑपरेटीव और को-ऑपरेटीव बैंक को लाख-लाख बधाई और धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, पैक्सों के गठन हुये, आज पैक्स जनवितरण का काम कर रही है, आज पैक्स कई प्रकार के ऐसे काम कर रही है, जो समाज में एक नमूना पेश कर रही है । मैं जानता हूं कि बिहार के को-ऑपरेटीव मंत्री आदरणीय राणा रणधीर जी, नौजवान हैं, युवा हैं और जुझारू हूं, वे को-ऑपरेटीव को आगे बढ़ायेंगे और को-ऑपरेटीव आगे बढ़ता जायेगा । मैं इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार राईस मिल लागने का काम कर रही है, उस प्रकार से वह आटा मिल भी लगावें, उस प्रकार से वह गन्ना जूस प्रोसेसिंग का भी काम करे, मक्का का मिल भी लगावे, तेल मिल भी लगावें और सब्जियों की मंडियों को दिहाती क्षेत्रों में विकसित करें ताकि को-ऑपरेटीव के माध्यम से आम किसान जो फायदा उठा रहे हैं, उनको और अधिक फायदा उठाने का अवसर प्राप्त हो । मैं आग्रह करूंगा अपने को-ऑपरेटीव मत्रीं जी से और सरकार से भी कि सरकार जिन कृषि उपकरणों को अनुदानित दर पर कृषि विभाग से बंटवा रही है, उनको को-ऑपरेटीव के माध्यम से बंटवाने का काम करे । महोदय, को-ऑपरेटीव के माध्यम से बंटवाने से फायदा यह होगा क्योंकि को-ऑपरेटीव नीचे तक जुड़ा हुआ है । गांवों में और पंचायतों में को-ऑपरेटीव है । को-ऑपरेटीव के माध्यम से बंटवाने से फायदा होगा । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप को-ऑपरेटीव के माध्यम से आप किसानों को ट्रेनिंग दीजिये । किसानों के लिये आप एक ट्रेनिंग सेंटर खोलिये, नीचे तक, ब्लॉक एवं पंचायतों तक आप को-ऑपरेटीव के माध्यम से किसानों को ट्रेनिंग देने का काम कीजिये । महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी को-ऑपरेटीव में ड्रायर दीजिये ताकि किसानों को अपने धान को सुखाने में सुविधा हो सके ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री सचीन्द्र प्र0 सिंह : महोदय, एक मिनट । किसानों को इसका लाभ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री राजेंद्र कुमार : सभापति महोदय, मैं आज अनुदान मांग के विपक्ष में और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय सदस्य भोला बाबू को कि आपके द्वारा कटौती प्रस्ताव लाकर किसानों के हित में काम करने का प्रयास किया गया है । महोदय, माननीय मंत्री हमारे जिला से आते हैं । युवा साथी हैं और सही मायने में हम यह कहने से पीछे नहीं हटते है कि ऊर्जा शक्ति इनमें है । लेकिन सरकार इनको चलने नहीं देती है । इनकी जो ऊर्जा क्षमता है, सरकार उसका इस्तेमाल नहीं करती । सरकार किसान विरोधी है । किसानों के हित में हमारे माननीय मंत्री काम तो करना चाहते हैं लेकिन मंत्री का चलता नहीं है, जिसकी वजह से सहकारिता की स्थिति बद से बदतर है । महोदय, हम बतलाना चाहेंगे कि आज जो स्थिति बनी हुई है निश्चित तौर पर 2017-18 में धान अधिप्राप्ति हेतु हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि कितने किसानों का ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन किया गया और वस्तुस्थिति यह है कि गरीब किसान बिचौलियों के माध्यम से धान बेचने के लिये मजबूर हैं । महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बतलाना चाहेंगे कि जिस विधान सभा क्षेत्र से हम आते हैं, वहां के हालात यह है कि धान के मामले में जो किसानों द्वारा जो धान की ऊपज होती है, उसके रख-रखाव के लिये जिस क्षमता का भण्डार चाहिए, उस क्षमता का भण्डार नहीं है । पूर्व के दिनों में महागठबंधन की सरकार प्रत्येक पंचायत में भण्डार बनाने का निर्णय लिया था । लेकिन जब से एन0डी0ए0 की सरकार आयी है, महोदय, मैं बतलाना चाहूंगा कि जिह तरह से किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं, बिहार में भी वह स्थिति आनेवाला है । जैसाकि दिख रहा है । महोदय, स्थिति यह बनी हुई है कि माननीय मंत्री जरूर यह प्रयास करते हैं लेकिन सरकार की जो स्थिति है, सरकार की जो सोच है, वह किसान विरोधी है । महोदय, आपके माध्यम से खास करके माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे । आप जानते हैं कि हरसिद्धि विधान सभा में हरसिद्धि प्रखंड है, जो कृषि के उत्पादन में चम्पारण में ही नहीं उत्तर बिहार में नम्बर वन स्थान रखता है, वह प्रथम स्थान रखता है । लेकिन स्थिति आज है कि निश्चित तौर पर वहां जो फसल ऊपजते हैं, सब्जी मंडी में जा करके जो उत्पादन क्षमता है किसानों का, वे अपनी सब्जियों को ले करके 14 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जिला मुख्यालय मोतिहारी जाते हैं लेकिन वह समय पर नहीं बिकने पर उनकी सब्जियां खराब हो जाती हैं । महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता

हूं कि हरसिद्धि की हालत यह बन गयी है, पूर्व के दिनों में जब आपके आदरणीय पिताजी हुआ करते थे राष्ट्रीय जनता दल में चम्पारण में, उनकी सोच अग्रणी हुआ करती थी, आज हम उनका कद्र करते हैं, नमन करते हैं, सदन के माध्यम से, हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी आज निश्चित तौर पर हरसिद्धि की जो स्थिति है, वहां सब्जी की ऊपज जिस रफ्तार से होती है, निश्चित तौर पर हरसिद्धि की धरती पर आप सहकारिता द्वारा किसान समिति बनाकर उनकी सब्जी की खरीदारी हो ताकि जो किसान अपना खून और पसीना एक करके सब्जी का उत्पादन करते हैं और यह उम्मीद लगाते हैं कि उनके बच्चे को भी सही शिक्षा मिलेगी, आज हालात बना हुआ है माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, आप किसान परिवार से आते हैं, पूरे देश सहित बिहार में जो किसानों के हालात बने हुये हैं, वह बद से बदतर बना हुआ है । आज किसान तड़प रहे हैं, सही मायने में हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि आज 10 बीघा, 20 बीघा जमीन रखनेवाले, 10 एकड़, 20 एकड़ जमीन रखनेवाले किसानों की हालत बद से बदतर है । आज वे अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और उनकी हालत यह है कि उनके बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो उनकी हालत इस तरीके का है, वे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सही ईलाज भी अपने बच्चों का नहीं करा पाते हैं । माननीय मंत्री जी आप पूर्वी चम्पारण जिला से आते हैं, हालत जो वहां बना हुआ है, आपसे कहना चाहेंगे कि प्रत्येक पंचायत में धान की अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य था, उससे बहुत कम खरीदारी हुई है । वहां कागजी खरीदारी हुई है और जो खरीदारी हुई है, वह कागजी खरीदारी हुई है । मेरे पास इसका पर्याप्त सबूत है, निश्चित तौर पर वह सबूत मैं आपके पास पहुंचाने का काम करूंगा ।

क्रमश :

टर्न-16/सत्येन्द्र/14-3-18

श्री राजेन्द्र कुमार, (क्रमशः) उतना ही नहीं, मैं बतलाना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को, जो हालात बना हुआ है प्रखंड में, घोड़ासहन प्रखंड में, रामगढ़वा प्रखंड में, दलितों के नाम पर पैक्स के माध्यम से बीमा खोला गया है और उनके नाम पर लोन तक ले लिया गया है और वह महादलित को पता नहीं है, दो दिन पहले मेरे यहां पूरा डोक्युमेंट आया है, यह मैं आपके माननीय मंत्री जी को उपलब्ध कराने का काम करूंगा । स्थिति यह बना हुआ महोदय कि पैक्स के माध्यम से या जो लोगों को फायदा होना चाहिए, वह गरीबों के शोषण का एक सेंटर सा बन गया है । महोदय, इससे निश्चित तौर पर जो बटाईदारों को उससे फायदा होने वाला था लेकिन उन बटाईदारों को भी फायदा नहीं हो रहा है

। हालात बद से बदतर है, हम इस माध्यम से दो तीन जो विषय है उसमें भूमि सुधार एवं राजस्व भी है, माननीय मंत्री बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा आज महोदय आपके माध्यम से कि आज जो देश और खासकर के बिहार में जितने भी विवाद का जड़ है, वह भूमि विवाद है, जितने भी केस का जड़ है, वह भूमि विवाद है लेकिन आज हालत यह बना हुआ है कि आपके अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी लूट का सेंटर बना हुआ है, सरकार मूकदर्शक बनी हुई है और हर जगह अंचलाधिकारी के खिलाफ प्रपत्र 'क' गठित है । मेरे यहां हरसिद्धि और तिरकौलिया अंचलाधिकारी दोनों के खिलाफ पहले से प्रपत्र 'क' गठित है लेकिन सरकार के पास इसके पूर्व भी मैंने प्रयास किया, आपके पास भी गये, आपने माध्यम से लिखने का काम किया लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती, हम आपको बतलाना चाहते हैं । महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं माननीय मंत्री जी को कि बासगीत पर्चा के नाम पर आज गरीब जो रोड के किनारे बसे थे, अपने बच्चे को ले करके, आज जो सरकार के द्वारा ड्राईव चलाया गया है अतिक्रमण का, इससे वे उजाड़े गये हैं और वह न घर के है, न घाट के हैं । पहले जो रोड के किनारे तिरपाल भी टांग कर के जी लेते थे, आज आपकी सरकार उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है, इसलिए हम निश्चित तौर पर कहना चाहेंगे महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कि सम्पर्क पथ आज ही नहीं, जब पूर्व के दिनों में माननीय लालू प्रसाद यादव जी के समय से ही सम्पर्क पथ के लिए अरबों रू0, प्रत्येक जिला में करोड़ों रू0 पड़ा हुआ है लेकिन आज गरीब के बच्चे और बच्चियों की शादी जब होती है, तो निश्चित तौर पर जो गरीबों के दरवाजे तक डोली जानी चाहिए, बच्चियों का वह नहीं जा पा रहा है और सम्पर्क पथ के अभाव में हालात यह बना हुआ है कि सरकार के पास मेरे जिला में खासकर, मैं जिलाधिकारी के पास कई बार गया हूँ और वहां पर जाने के बाद यह लगता है कि कभी वह किसी पदाधिकारी के पास भेजते, कभी किसी के पास लेकिन उस पर कोई निर्णय सटीक नहीं हो पा रहा है, इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपके अंचलाधिकारी इतने बिगड़ैल हो गये हैं इस सरकार में, आज अफसरशाही, सरकार के पदाधिकारी इतने बिगड़ चुके हैं कि आज गरीबों के गांव में जो नवसृजित विद्यालय खुले थे, उसे भूमि का अभाव बतला करके गरीबों को जो शिक्षा मिल रहा था उससे बंचित करने का काम किया है । महोदय, जो विद्यालय सरकार के द्वारा बनाने की मंशा है गरीबों के गांव में, वहां भूमि का अभाव बतला करके शिक्षा से दूर भेजने का प्रयास, ये सरकार की बहुत बरबोल पदाधिकारियों का प्रयास है, इस तरह से हम आग्रह करना चाहेंगे,

निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे, आज जो स्थिति बनी हुई है, वहां गोदाम की जो हालत है, गोदाम की क्षमता कम है, हम निश्चित तौर जो लक्ष्य है, जो आपकी खरीदारी का लक्ष्य, अधिप्राप्ति का लक्ष्य है, उसके अनुरूप कहीं गोदाम नहीं है, उसका हम निश्चित तौर पर माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि आप प्रयास करें, चम्पारण की धरती हमेशा से उपजाऊ धरती है और उस धरती से आप आये हैं, सरकार की मंशा ठीक नहीं है, इसलिए आप काम नहीं कर पा रहे हैं, चम्पारण आपके तरफ देख रही है, किसान आपकी तरफ देख रहे हैं, आज गरीब के घरों में और किसान के घरों में शिक्षा की ज्योति जो जलनी चाहिए, वह नहीं जल पा रही है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

इसलिए खास तौर पर आपको कहना चाहेंगे कि हालात बद से बदतर है और आग्रह हम करना चाहेंगे कि तुरकौलिया में भी जो सब्जी का भंडारण की क्षमता है, उसके लिए भी आप सहकारिता समिति गठन कर और तुरकौलिया को भी खरीदारी करने का और भंडारण करने का प्रयास करेंगे । इन्हीं बातों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। समय बचा हुआ है, इसलिए हम आग्रह करना चाहेंगे कि आज छटपटाहट है महोदय......

अध्यक्ष: आप तो कितना अच्छा समाप्त कर चुके थे ।

श्री राजेन्द्र कुमार: महोदय, हम एक चीज बतलाना चाहते हैं कि आज सरकार जो एन0डी0ए0 की सरकार है, एक भी मामले में, किसानों के फायदा पहुंचाने के मामले में महारथ हासिल नहीं कर पायी है लेकिन एक मामले में महारथ जरूर पायी है....

श्री मो0 इलियास हुसैन: अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है । माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सहकारिता के अनुदान पर बहस जारी है सदन में, माननीय विधायकों की इच्छा है, इसी क्रम में जो गिलोटिन में भूमि सुधार और उद्योग विभाग है, उन मंत्रियों से भी, माननीय मंत्रियों से पांच पांच मिनट इंटरभेन करा दिया जाता तो बेहतर होता, यह सुझाव है ।

अध्यक्ष: वैसे भी जो माननीय मंत्री जिस विभाग के हैं, जिनका विभाग किसी विभाग के साथ गिलोटिन या मुखबंध होता है, माननीय मंत्री इच्छा जाहिर करते हैं, तो हमलोग इंटरवेन करा देते हैं और इसी क्रम में माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री सहकारिता के द्वारा जो बातें पूरी आयी है, उसके बारे में जवाब देंगे लेकिन सदन में राजस्व एवं भूमि

सुधार विभाग की भी कुछ बातें आयी हैं, तो मैं उस संबंध में कुछ बतलाना भी चाहता हूँ आपके माध्यम से और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो आगे करने वाला हूँ, उस संबंध में भी कुछ बतलाना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, जितनी चिन्ता माननीय प्रतिपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों का है, उतनी ही चिन्ता मुझे भी है । मैं भी गांव से आता हूँ और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, दिनांक 8-6-78 को मैं मुखिया बना था और 1979 में प्रमुख निर्विरोध बन गया था । आज और कल के दिनों में अंतर है मुखिया, प्रमुख में, तो मैंने अंचलों में या प्रखंडों में कार्य होते देखा है, ये कहने में मुझे जरा भी हिचक नहीं है, चाहत भी नहीं है कि किस प्रकार किसानों को, रैयतों को अंचलों में अपने नाम दाखिल खारीज यानी म्युटेशन जिसको हम कहते है, ज्यादा शब्द वही होता है, दौड़ते दौड़ते जूते और चप्पल के एड़ी खिया जाते थे, वह अनुभव है, मैंने देखा है, उसका अनुभव है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी इनके नेतृत्व में आज ये सरकार चल रही है, लगातार इन विभागों का हमलोग अधिकारियों के साथ बैठक कर के आम किसानों और रैयतों की चिन्ता, उनको कैसे कम परेशानी हो, इस दिशा में लगातार चिन्तित है, चिन्ता कर रहे हैं और उस दिशा में हम कुछ करने वाले हैं, वह भी बतलाना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, भूमि प्रबंधन की पारदर्शी व्यवस्था, भू-अभिलेखों के नियमानुसार कालबद्ध रूप से निर्माण एवं संधारण तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों को आवश्यकतानुसार आवास एवं जीविकोपार्जन हेतु एवं भूमि उपलब्ध कराने तथा बिहार लोक सेवाओं का अधिनियम, 2011 के सफल कियान्वयन के उद्देश्य से जनता की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के बारे में मैं कुछ बात आपको बतला रहा हूँ । (कमशः)

टर्न-17/मधुप/14.03.2018

...कमशः...

श्री रामनारायण मंडल, मंत्री : सुशासन की सरकार, श्रीमान् नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार समाज द्वारा महादलित वर्ग के साथ-साथ अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को सम्मान-पूर्वक जीवन यापन करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराने के कार्य को प्राथमिकता देते हुये भूमि का सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ प्रबंधन प्रारम्भ किया गया है । इससे संबंधित विभिन्न कार्य योजना की जानकारी आपके सामने दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने दाखिल-खारिज यानी म्यूटेशन के बारे में चर्चा की है, राज्य के 42 शहरी अंचलों में 01 दिसम्बर, 2017 से ऑनलाईन दाखिल-खारिज प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है । इसके पूर्व इन अंचलों की जमाबंदी को डिजिटाइज कर जनसाधारण के अवलोकन हेतु अपलोड करने की व्यवस्था की गई है । इस प्रक्रिया से भू-अभिलेखों के संधारण में पारदर्शिता बढ़ी है एवं भू-अभिलेखों में छेड़-छाड़ की संभावना समाप्त हो गई है । दिनांक 01.04.2018 से राज्य के अन्य अंचलों में ऑनलाईन दाखिल-खारिज की व्यवस्था की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय, भू-लगान के ऑनलाईन भुगतान हेतु एन0आई0सी0 के सहयोग से सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है । दिनांक-01.04.2018 से Payment Gateway (पेमेन्ट गेटवे) के माध्यम से भू-लगान के भुगतान की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी जायेगी । इससे आम रैयतों को अपने भू-लगान के बकाया की जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिससे उन्हें भू-लगान के भुगतान करने में सुविधा होगी।

महोदय, अभी कुछ सदस्यों ने एन0ओ0सी0 के बारे में भी चर्चा की, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र को भी ऑनलाईन निर्गत किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसका सॉफ्टवेयर सम्प्रति निर्माणाधीन है । दिनांक-01.04.2018 तक ऑनलाईन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, गॉव से आने के कारण जो ग्रामीण समस्याएँ सुनने और देखने का मौका लगा है, मैं देखता था समाज के जरा सम्पन्न लोगों के यहॉ जमीन नापी कराने के लिये नक्शा रहता था उनके घर में पोटली बॅधा हुआ । गॉव का गरीब-गुरबा गया, एक बार नहीं चार बार जा रहा है, उन्हें नक्शा नहीं मिलता था, नापी में काफी दिक्कत होती थी लेकिन हमारी सरकार ने 150 रूपया में मशीन के माध्यम से नक्शा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायी है राज्य के सभी जिलों में, कई अनुमंडलों में भी । और तो और अध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा हो रही थी कि बम्बई में और दिल्ली में भी जो यहॉ के बैठे लोग हैं, जो नक्शा लेना चाहते हैं केवल 150 रू0 जमा करिये और तीन मिनट में आपको नक्शा आपके हाथ दे देगा। (व्यवधान)

मैं कह रहा हूॅ कि माननीय सदस्य, अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो फिर आप हमलोग लिखकर दीजियेगा तो जॉच करा देंगे । अगर ऐसा कुछ होगा, अगर इस प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो दंडित करेंगे वैसे अधिकारियों को, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूॅ । आप लिखित दीजियेगा ।

अध्यक्ष महोदय, समय कम है मुझे, थोड़ा माननीय सदस्य बोलने तो दीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इनकी बात बार-बार सुनता हूँ, मेरी बात ये सुनना नहीं चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, 330 अंचलों में डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण किया गया है । इन केन्द्रों में अंचल से संबंधित सभी प्रकार के अभिलेखों एवं राजस्व से संबंधित अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है, ताकि अभिलेखों की प्रतिलिपि आम लोगों को ससमय उपलब्ध कराया जा सके । शेष अंचलों में डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण वर्ष 2019 तक पूर्ण किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, राज्य के 35 जिलों में हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न हो चुका है । हवाई फोटोग्राफी से प्राप्त डाटा के अनुरूप मानचित्र तैयार करने का काम सम्पन्न किया जा रहा है । प्राथमिकता के तौर पर कुल 13 जिलों यथा- नालन्दा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णियां, मुंगेर एवं कटिहार में सर्वे, री-सर्वे का कार्य तेजी से सम्पादित किया जा रहा है ।

[इस अवसर पर भाकपा(माले) के माननीय सदस्यों द्वारा कुछ कहते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया ।]

अध्यक्ष महोदय, सरजमीनी सेवाओं के अन्तर्गत राज्य के सभी राजस्व हलका में विभाग द्वारा किये जा रहे लोक सेवा, समावेशी विकास एवं नियमों में प्रवर्त्तन की स्थिति की समीक्षा की जा रही है । इसके अन्तर्गत दाखिल-खारिज वादों से संबंधित जॉच प्रतिवेदन एवं शुद्धिपत्र की जमाबंदी में प्रविष्टि, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, अभियान बसेरा, ऑपरेशन भूमि, दखल देहानी, अतिक्रमण, भू-मापी एवं भू-लगान का Compilation Sheet तैयार किये की स्थिति की समीक्षा Computerized पद्धति से लगातार की जा रही है । जिन भी हलका में कृत कार्रवाई में कमी पायी जाती है, वहाँ सुधारात्मक कार्य हेतु आवश्यक पहल किये जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्व अधिनियम को और प्रभावकारी और व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम एवं नियमावली, बिहार काश्तकारी अधिनियम, नियमावली एवं बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम में वांछित संशोधन किये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्व अधिकारी के 175+19 यानी 194 पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची उपलब्ध कराने हेतु अधियाचना बिहार लोग सेवा आयोग को पूर्व में भेजी गयी थी, जिसके विरूद्ध प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन किये जाने के पश्चात् मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाना प्रक्रियाधीन है । पुनः राजस्व अधिकारी के कुल-711 पदों का सृजन

किया गया है, जिसपर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजे जाने हेतु प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है ।

राजस्व कर्मचारी के रिक्त 4353 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है । माह–अप्रील, 2018 के अंतिम सप्ताह में एवं मई, 2018 के प्रथम सप्ताह में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके पश्चात् राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति सभी अंचलों में कर दी जायेगी ।

अमीन के रिक्त 1522 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण कोटिवार अधियाचना बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची उपलब्ध कराने हेतु भेजी गयी है । उक्त प्रयोजनार्थ विज्ञापन प्रकाशित किया जाना प्रक्रियाधीन है । अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रापत किये जायेंगे एवं परीक्षा भी ऑनलाईन लिया जाना प्रस्तावित है ।

अध्यक्ष महोदय, भू–अर्जन की प्रक्रिया के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारण की कार्रवाई को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में छः सदस्यीय समिति का गठन किया गया है । भू–वर्गीकरण के संबंध में संशोधित दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है । मुआवजा भुगतान के प्रगति, अनुश्रवण हेतु ऑनलाईन पोर्टल की व्यवस्था की गयी है । इसके लिये पटना एवं वैशाली जिला में पायलट परियोजना भी प्रारम्भ किया गया है ।

....क्रमशः....

टर्न–18/आजाद/14.03.2018

.... क्रमशः ......

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, महादलित विकास योजना के अन्तर्गत वासभूमि रहित महादलित परिवारों को प्रति परिवार पूर्व में 03 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने की कार्य योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्रारम्भ किया गया, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए वित्तीय वर्ष 2014–15 से 03 डिसमिल वासभूमि में वृद्धि करते हुए उसे 05 डिसमिल प्रति परिवार कर दिया गया है । वर्तमान में प्रति परिवार 05 डिसमिल जमीन वास हेतु उपलब्ध करायी जायेगी ।

महादलित विकास योजना के अन्तर्गत कुल 2,40,705 परिवार वासरहित पाये गये, जिसके विरूद्ध गैर मजरूआ आम भूमि, गैर मजरूआ खास भूमि की बन्दोबस्ती कर वासगीत पर्चा उपलब्ध कराकर एवं जमीन क्रय कर कुल 2,40,750 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है, जो लक्ष्य का 100.02 प्रतिशत है ।

उक्त योजना के अन्तर्गत 2,40,750 परिवारों को 8718.08 एकड़ भूमि वास हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार के स्तर पर यह महसूस किया गया है कि महादलित के साथ-साथ शेष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग-1 एवं 2 के सभी वास भूमि प्रत्येक परिवारों को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है । इसके लिए महादलित विकास योजना/गृहस्थल योजना अन्तर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति,2011/टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त श्रेणी के सभी वास रहित परिवारों के सर्वेक्षण एवं उन्हें वास भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई अभियान के रूप में की जा रही है । उक्त योजना के तहत सभी सुयोग्य श्रेणी के वास भूमि रहित परिवारों को गैर मजरूआ मालिक/गैर मजरूआ आम/बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट के अन्तर्गत पर्चा देने के उपरान्त शेष बचे परिवारों को क्रय नीति के तहत रैयती जमीन न्यूनतम प्राक्कलित राशि(एम0भी0आर0) पर क्रय कर जमीन उपलब्ध करायी जायेगी ।

अभियान बसेरा योजना के अन्तर्गत कुल 1,11,080 परिवार वासरहित पाये गये हैं, जिसके विरूद्ध 66,396 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है। शेष 44,684 परिवारों को वर्ष के अन्त तक वास हेतु भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी।

वर्ष 2010-11 से संचालित गृह स्थल योजना, टी0एस0पी0 योजना एवं महादलित योजना को अभियान बसेरा के अन्तर्गत समाहित कर दिया गया है एवं सभी प्रकार के यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एनेक्सचर-1 एवं पिछड़ा वर्ग एनेक्सचर-2 श्रेणी के सभी वासभूमि रहित परिवारों को अभियान बसेरा के अन्तर्गत आच्छादित किया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : अब समाप्त कर दें माननीय मंत्री जी, शेष आप पटल पर रखें तो कार्यवाही का हिस्सा बन जायेगा ।

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपका निर्देश प्राप्त हो रहा है तो स्वभाविक है मानना, लेकिन मैं चाहता था कि अगर दो-तीन मिनट और मिलता तो ..

अध्यक्ष : दो मिनट तो आप ले ही सकते हैं ।

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत राज्य में वैसे ग्राम/टोले/मोहल्ले जिनका सम्पर्क मुख्य सड़क से नहीं है, को मुख्य सड़क से जोड़ने हतु रैयती भूमि के अर्जन/क्रय नीति के लिए जिलों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में 50 लाख रूपया का बजट उपबंध किया गया है । जिलों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर उक्त राशि विभिन्न जिलों को आवंटित कर दी गयी है ।

राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न श्रेणी यथा गैरमजरूआ मालिक एवं गैरमजरूआ आम, अधिशेष भूमि, भूदान, बिहार प्रश्रय प्राप्त रैयती गृह स्थल अधिनियम के अन्तर्गत एवं क्रय नीति से भूमि का वितरण किया गया है । वैसे पर्चाधाारियों को उनको आवंटित भूमि पर बेदखल की स्थिति में दखल-कब्जा दिलाने के उद्देश्य से ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के नाम से बेदखल पर्चाधारियों को चिन्हित करने एवं उन्हें आवंटित भूमि पर दखल दिलाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है । इस योजना अन्तर्गत पंचातवार विशेष शिविरों का आयोजन कर बेदखली के मामलों का पता लगाने तथा पुलिस बल की मदद से बेदखल पर्चाधारियों को उनके आवंटित भूमि पर दखल दिलाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । पर्चाधारियों एवं बेदखली के मामलों तथा शिविरों की तिथि/समय/स्थान की सूचना संबंधित जिलों के वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है । अभी तक कुल 1,23,577 बेदखली के मामले प्रकाश में आये हैं, जिसके विरूद्ध 81,000 से अधिक पर्चाधारियों को इस अभियान के अन्तर्गत आवंटित भूमि पर दखल-कब्जा दिलाया गया है। शेष बेदखल पर्चाधारियों को 30 जून, 2018 तक दखल दिलाने का लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है ।

आपने मुझे बोलने का समय दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पत्र को प्रोसिडिंग्स का पार्ट बनवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : बहुत धन्यवाद । उसमें कुछ बचा रह गया है क्या ?

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : कुछ बचा है ।

सरकार का उत्तर

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग ।

श्री राणा रणधीर,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात चन्द पंक्तियों के माध्यम से शुरू करना चाहता हूँ :-

जिन्दगी दी है तो जीने का हुनर भी देना,
पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना,
और गुफ्तगू आपने सिखलायी है कि मैं गूँगा था,
आज बोलूँगा तो बातों में असर भी देना ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, पहले जनता दल में थे, वही असर है ?

अध्यक्ष : पता नहीं यह असर पहले वाला है या अभी वाला है ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : बहुत अच्छा शेर है, सुन लीजिये सर ।

जिन्दगी दी है तो जीने का हुनर भी देना,

पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना,
और गुफ्तगू आपने सिखलायी है कि मैं गूँगा था,
आज बोलूँगा तो बातों में असर भी देना ।

अध्यक्ष : इसको अंताक्षरी मत बनाइये ।

श्री राणा रणधीर,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सहकारिता जिस विषय पर कई सदस्यों के बहुत अच्छे सुझाव भी आये । महोदय, सहकारिता दो शब्दों से बना है सह और कार्य और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है जिसका मतलब ही होता है कि मिल-जुलकर काम करना, एक-दूसरे को सहयोग करना और इसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी, जिस चम्पारण की धरती से मैं आता हूँ , उन्होंने कहा कि - The co-operative is an extension of family inspiration जिसको जे0आर0डी0 ने आगे बढ़ाते हुये लिखा People are our most important asset, we must invest in them and help them to help us. सबसे बड़ी बात जो पक्ष और विपक्ष में है और संयोग से मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, सहयोग से, आपसी सहयोग से चलने वाला विभाग और किसानों से, गांवों से, गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग जिसने एक लम्बी यात्रा की है और लम्बी यात्रा की है 2005 से और उसके बाद के दिनों में, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, एक कहानी आपके साथ बांटना चाहता हूँ - कि एक यंग एक एजक्यूटिव एक युवा अधिकारी घर में अपने काम के बोझ से लौटता है, किस तरह से सहकारिता हमें एक-दूसरे को सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है । वो काम के बोझ से परेशान रहता है और उसका 5-6 साल का बच्चा उसके साथ खेलने के लिए जिद करता है । पिता को बहुत सारे काम हैं लेकिन बच्चे की जिद है उनके साथ खेलना चाहता है, पिता ने कहा कि मुझे बहुत काम है लेकिन बच्चा की एक जिद है, बच्चे की जिद से छुटकारा पाने के लिए पिता पास पड़े एक मैगजीन से दुनिया के तस्वीर उठाता है, उसके कई टुकड़े करता है और सोचता है दुनिया के इस नक्शे को जोड़ने में मुझे बहुत वक्त लगता है तो बच्चों को जोड़ने में बहुत वक्त लगेगा, शायद वह जोड़ भी नहीं पाये और जब तक वह जोड़ेगा, तब तक मैं अपना काम निपटा लूँगा और उसके साथ थोड़ा समय बिता लूँगा । लेकिन वीदिन मिनट वह बच्चा दौड़ कर पिता के पास पहुँचता है और वह कहता है Dad I have done पिता जी मैंने कर लिया, पिता को बड़ा आश्चर्य होता है और उत्सुकता भी होती है कि आखिर कैसे कर लिया, उत्सुकता से वह देखने जाता है और वह देखता है कि सही में दुनिया का नक्शा जुड़ा हुआ है । वह बच्चे से पूछता है कि बेटे आपने कैसे कर लिया, बच्चे ने जवाब दिया पिता जी दुनिया के नक्शे के पीछे आदमी

की तस्वीर बनी थी और मैंने बस इतना किया कि आदमी की तस्वीर को जोड़ा और दुनिया का नक्शा खुद ब खुद जुड़ गया ।

.... क्रमशः ....

टर्न-19/अंजनी/ दि0 14.03.18

श्री राणा रणधीर, मंत्री : ...क्रमशः... तो सहकारिता में यह शक्ति होती है । सहकारिता के अन्दर का जो भाव होता है, यह शक्ति होती है और मैं धन्यवाद देता हूँ कि पहली बार भारत की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको समझा और उसी का नतीजा है कि आज इस सदन में सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में मैं आपकी दुविधा और शंका का जवाब दे रहा हूँ । मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय सदस्यों को, आदरणीय भोला यादव जी ने, आदरणीय जितेन्द्र कुमार जी ने, आदरणीय श्याम बाबू यादव जी ने, आदरणीय सिद्धार्थ जी ने, आदरणीय शिवचन्द्र राम जी ने, आदरणीय जिवेश जी ने, आदरणीय सीताराम यादव जी ने, आदरणीय लक्ष्मेश्वर राय जी ने, आदरणीय आनन्द शंकर जी ने, आदरणीय श्री सत्यदेव राम जी ने, आदरणीय श्री सैयद अबु दौजाना जी ने, माननीय सचीन्द्र प्रसाद सिंह जी ने, माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने, आप सब लोगों के सुझाव पक्ष और विपक्ष के बहुत ही बढ़िया सुझाव आये हैं । मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि सहकारिता विभाग गांव और गरीबों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्धता इससे झलकती है कि मैं आपके सामने एक डाटा देता हूँ, सदन के सामने रखना चाहता हूँ । आज से आठ-दस वर्षों पहले सहकारिता को सब लोग इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे और पैक्सों के जो मेम्बर होते थे, सहकारिता के जो मेम्बर होते थे, पैक्स जो हमारी यूनिट है जो गांवों में काम करती है, 8463 पैक्स हैं पूरे बिहार में, जो सभी पंचायतों को कवर करती है और पंचायत जहां हमारे ज्यादा बढ़े हैं, दो-दो पैक्स हमने दिया है और इस भाव से सरकार ने दिया है कि गांव के किसानों की सारी ऐक्टिविटी पैक्सों के माध्यम से हो सके । पैक्स को एक ऐसा मल्टीपरपस ऐक्टिविटी सेंटर बनाना चाहते हैं, जिसके माध्यम से किसानों से न केवल धान की अधिप्राप्ति करें बल्कि जो सुझाव आदरणीय सचीन्द्र जी का आया है, सरकार उस पर आगे विचार रखती है कि आगे हम गेहूँ का आंटा, गन्ने के लिए भी उपयोगी काम करें, इस रूप में उनकी संख्या बढ़ाये । आज से दस वर्ष पहले पैक्स सदस्यों की संख्या मात्र 56 लाख के करीब थी और आज मुझे सदन को बताते हुए बड़ी खुशी है कि एक करोड़ सोलह लाख सदस्य हैं, पैक्सों के मेम्बर हैं और उसमें सबसे बड़ी खुशी है कि वर्ष 2004 और 2005 में जो संख्या केवल 35-36 लाख की थी तो महिलाओं की संख्या करीब

36 लाख है । यह भी सदन के लिए और सरकार के लिए बड़े गौरव की बात है। हम पैक्सों को और पारदर्शी बनाना चाहते हैं, हमारा सहकारिता विभाग का फंक्शन जो मुख्य रूप से हम पैक्सों के माध्यम से किसानों के धाान अधिप्राप्ति करते हैं और हमने पैक्सों को, सरकार ने पहली बार यह महसूस किया कि पैक्स भी सरकार के लिए धान अधिप्राप्ति का काम करता है, सरकार की एजेंसी के रूप में काम करती है । गांव और गरीब से जुड़ा है, गांव और किसानों के हित की बात करता है तो पहली बार सरकार ने कहा कि हम पैक्सों को भी जो धान की अधिप्राप्ति करते हैं, उनको प्रबंधकीय अनुदान के रूप में दस रूपया प्रति क्विंटल देने का काम करेंगे और जो बैंक पैक्सों को मदद करता है, ऋण देने का काम करता है, मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि पहली बार बिहार की सरकार ने सहकारिता डिपार्टमेंट ने जो कैश क्रेडिट हम किसानों को देते थे, वे कैश क्रेडिट हमलोगों ने 40 प्रतिशत् करने का काम किया है । जो बहुत पहले आगे बढ़ने पर 25 से 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ पाता था । हमलोगों ने पैक्सों को मदद करने वाले बैंक जो पैक्सों को ऋण देता है, उसको भी हमलोगों ने पांच रूपया प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रबंधकीय अनुदान देने का काम किया है और जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जो जिला सहकारी बैंकों को ऋण देती है, उसको भी 50 पैसे प्रति क्विंटल देने का निर्णय सरकार ने किया है । सरकार ने पहली बार, मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि धान अधिप्राप्ति के लिए सरकार 600 करोड़ रूपया देती थी लेकिन पहली बार सरकार ने ज्यादा-से-ज्यादा अधिप्राप्ति हो, इसको ध्यान में रखते हुए 500 करोड़ रूपया से ज्यादा बैंक गारंटी का अभी ऐलान किया कि हम विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से 500 करोड़ की बैंक गारंटी भी देने का काम करेंगे । (व्यवधान) मैं बताता हूं, मैं आपके सामने आता हूँ, आपको एक डाटा मैं देता हूँ जो सरकार के पास है । मुन्ना जी दो मिनट सुनियेगा । सरकार की बड़ी उपलब्धि है इस मायने में.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपस में क्यों बात करते हैं ? मंत्री जी इतने अच्छे से बता रहे हैं ।

श्री राणा रणधीर,मंत्री : धान की अधिप्राप्ति सरकार का लक्ष्य होता है कि किसानों को उचित मूल्य मिल सके । (व्यवधान) किसानों को उचित मूल्य मिले, यह चिंता है सरकार की । आपको भी मुन्ना भाई, यह पता होगा कि किसान आज बाजार में धान का मूल्य जो एम0एन0सी0पी0 सरकार ने रखा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य रखने का मतलब ही होता है किसानों का धान हम इस मूल्य से कम में नहीं बेच पायें और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि बिहार राज्य के करीब सभी जिलों में धान का मूल्य जो है, वह साढ़े पन्द्रह सौ सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो रखा है, वह

उसके आस-पास है और कई जिलों में उससे ज्यादा मूल्य में किसान धान दे रहे हैं तो यह सरकार की उपलब्धि है । इसलिए धान की थोड़ी अधिप्राप्ति स्लो है (व्यवधान) किसानों की चिन्ता सरकार की चिन्ता है और सरकार यह महसूस करती है कि ...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप आसन की तरफ देखते हुए बोलते जाइए ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : किसानों की चिन्ता सरकार की चिन्ता है । इसलिए सरकार ने कहा और मैं इसको शिद्दत के साथ महसूस करता हूँ कि

तेरे शहर का पेट, मेरे गांव की मिट्टी से पलता है
और गौरतलब रहे कि देश अपना गांवों में बसता है

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए मुन्ना जी, आप पार्टी की तरफ से समय लेकर पूरी अपनी बात कहा करिए, बीच-बीच में नहीं बोलिए । आप बैठिए ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : महोदय, पहली बार मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई और अल्पसंख्यकों की लड़ाई, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे और उन्होंने चिंता की, उनके चंद शब्द, जो कई भाषणों में उन्होंने कहा भी है, उसके माध्यम से जोड़ता हूँ कि किस तरह से भारत की सरकार ने, बिहार की सरकार ने किसानों के फसलों की चिंता की और किस तरह से फसलों की बीमा करायी जाय, अक्सर ये शब्द वे पढ़ते थे और शब्द के माध्यम से आपको जोड़ता हूँ कि

बहुत दिन चला हूँ किनारे-किनारे,
जी चाहता है कि अब मौजों से खेलूँ,
मौजे तूफान मेरी लाज रखना,
यदि साहिल ने ठुकराया है मुझे ।

ये कर्पूरी जी के शब्द रहे और उन्होंने चिन्ता की किसानों की और भारत की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लायी और उसमें किसानों के लिए जो कमी रह जाती थी, इस योजना के अंतर्गत पहली बार जो मिड टर्म एडवर्सिटी होता था, बोआई के समय जो फसलों की क्षति रह जाती थी या जो पोस्ट हार्वेस्टींग लॉस होता था, कटनी के समय जो कठिनाई होती थी, उसको भी दूर करने का काम किया गया और इसके बाद इन्होंने पहली बार सरकार ने तय किया कि नयी योजना में प्रीमीयम का निर्धारण टेंडर करके करेंगे और किसानों के लिए कम से कम प्रीमियम जो धान के लिए 2 प्रतिशत और गेहूँ के लिए डेढ़ प्रतिशत निर्धारित किया गया है और शेष प्रीमियम राज्य की सरकार और केन्द्र की

सरकार बराबर-बराबर वहन करेगी । सरकार की योजना है कि आनेवाले वर्षों में हम धान के साथ-साथ गेहूँ और दलहन की फसलों, खरीफ फसलों की भी अधिप्राप्ति करेंगे , इसकी भी रूचि सरकार की है और सरकार करना चाहती है । हमलोगों ने सोसाइटीज के चुनाव में , दो तरह की हमारी सोसाइटी है, एक 1935 का ऐक्ट है और एक 1906 का ऐक्ट है, जिसके तहत हम सोसाइटीज को रेगुलेट करते हैं और 1906 में जिसमें हम मत्स्यजीवी संगठनों को और कई स्वाबलम्बी संगठनों का रेगुलेशन भी करते हैं । उसमें भी हमने व्यापक सुधार किया है और माननीय सदस्य इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि किस तरह से वर्ष 2008 में माननीय नीतीश कुमार जी ने, बिहार की सरकार ने एक निर्वाचन प्राधिकार लाया कि कैसे इस चुनाव में पारदर्शिता हो, कैसे लोगों को इसका एक मार्गदर्शन मिल सके । इस रूप में इन्होंने काम किया और इसमें भी जैसे हमारे मत्स्यजीवी समाज के भाईयों को उनका चुनाव पांच वर्षों में हो जाता था लेकिन जलकरों की बंदोबस्ती सात वर्षों में होती थी और चुनाव के बाद एक अजीब तरह की कठिनाई उत्पन्न हो जाया करती थी, इसको दूर करने के लिए सरकार ने वर्ष 2013 में संशोधन किया। 2008 में, फिर 2013 में । अब उन्होंने किया है कि मत्स्यजीवी संगठनों के चुनाव,

...क्रमशः.....

टर्न-20/शंभु/14.03.18

श्री राणा रणधीर,मंत्री : क्रमशः.......जलकरों के चुनाव भी हम एक साथ-साथ करायेंगे और इसमें जो चुनाव में सबसे बड़ी सुविधा आरक्षण को लेकर सरकार ने इसकी चिंता की कि हमारे सभी सोसायटी में हमारे लिये अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा सबके लिए आरक्षण की व्यवस्था है । उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है । एक क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है । हमारी जो भी सोसायटी होती है उसमें संख्या 13 की होती है जिसमें 6 हमलोग अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े समाज के लिए रखा है, उसमें भी महिलाओं के लिए है और क्षैतिज बाकी जो शेष बचते हैं उसमें भी हमलोगों ने महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है । यह सरकार की महिला सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि सरकार किस रूप में गंभीर है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और यह सुनिश्चित करना चाहती है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि किस तरह से हमारी सरकार का लक्ष्य है कि सहकारिता जन-जन तक पहुंचे, घर-घर तक पहुंचे और बिहार के हरेक परिवार में आज 12 करोड़ की आबादी है बिहार की और खेती करनेवाले हमारे किसान 1 करोड़ 4 लाख लोग खेती करते हैं । 141 एकड़ भूमि पर हमलोग खेती करते हैं जिसमें 83 एकड़ भूमि पर हम धान का उत्पादन करते हैं और किसानों की जो इतनी मात्रा है इसको भी और इस रूप

में भी हम उनको कैसे लाभान्वित कर सकें इसकी भी योजना सरकार के पास है । सरकार ने भंडारण की चिंता माननीय सदस्यों ने किया है उसके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ सदन के माध्यम से आपको महोदय कि राज्य में वर्ष 2005-06 में जहां पैक्सों में 100 मे0टन की क्षमता के गोदाम बने रहते थे और उस समय भंडारण क्षमता हमारा 1.95 लाख मे0टन था जो बाद में कृषि रोड मैप के माध्यम से 2007 में पहला कृषि रोड मैप आया, 2012 में दूसरा कृषि रोड मैप आया और उसके माध्यम से सरकार ने एक योजना लाया और 8463 पैक्स और 521 व्यापार मंडलों के माध्यम से सरकार ने 10 लाख मे0टन के क्षमता का अभिवर्द्धन कर लिया है इतनी हमारी भंडारण क्षमता है । हमारा अगला जो करीब 651 पैक्सों और व्यापार मंडलों में हमारे गोदाम के काम चल रहे हैं इससे हमारे भंडारण की क्षमता बढ़ेगी । जिसके पूर्ण होने से भंडारण की क्षमता में इसी वर्ष करीब 1.383 लाख मे0टन अतिरिक्त वृद्धि हम करेंगे ।

अध्यक्ष : भले तो आप सिद्दिकी जी को देख रहे थे ।

श्री राणा रणधीर,मंत्री : तीसरे कृषि रोड मैप के माध्यम से व्यापार मंडलों के विभिन्न गोदाम का निर्माण कराते हुए सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 10 लाख मे0 क्षमता की अभिवृद्धि की लक्ष्य हमलोगों ने रखा है और गोदाम के निर्माण के लिए जो सरकार की योजना है कि वर्ष 2017-18 में सहकारिता विभाग द्वारा गोदाम निर्माण हेतु समिति द्वारा उपलब्ध कराये जानेवाले भूमि के निर्धारण शर्त्तों का भी सरलीकरण किया जायेगा ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कुछ कहते हुए
सदन से बहिर्गमन किया।)

गोदाम के निर्माण का तकनीकी पर्यवेक्षण को सुलभ बनाने हेतु स्वतंत्र अभियंता की सेवा प्राप्त करने का प्रावधान भी सरकार द्वारा किया गया है जिससे योजना लागत का 2.5 प्रतिशत राशि मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना है । चावल मिल की स्थापना- कृषि रोड मैप 2012 से 2017 के अन्तर्गत राज्य में पैक्स व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति किये गये धान के प्रसंस्करण हेतु राज्य के संभावना युक्त प्रखंडों में आवश्यकतानुसार चावल मिल स्थापित किया जाना है । अभी तक सहकारी क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं आइ0सी0डी0पी0 के माध्यम से कुल 441 समितियों में चावल मिल की स्थापना स्वीकृत सरकार द्वारा की गयी है । जिसमें 377 चावल मिल सह गैसी फायर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, शेष 73 निर्माणाधीन है । कृषि रोड मैप 2017-22 में कुल 260 पैक्स व्यापार मंडलों में 2 मे0टन क्षमता के विरूद्ध चावल मिल ड्रायर के साथ स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । जिसके विरूद्ध 2017-18 में 93 चावल मिल के निर्माण की स्वीकृति राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत दी गयी है । जिसके लिए 62.7175 करोड़ रूपये जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है । चावल मिल की स्थापना हेतु गोदाम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के अनुरूप भूमि उपलब्ध कराने

की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं तकनीकी पर्यवेक्षण वाह्य अभियंता से कराने का प्रावधान किया गया है । महोदय, किसानों के धान में नमी को लेकर बड़ी समस्या रहती थी । माननीय सदस्य इसकी लगातार चिंता करते रहते थे और सरकार की भी यह चिंता रहती थी- इस बार सरकार ने ऑन टाइम प्रोक्योरमेंट का काम शुरू कराया 15 नवम्बर से शुरू कराया और किसान का रजिस्ट्रेशन पहले से शुरू हो इसलिए 19 सितम्बर से भी रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करा दिया और मैं भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नमी की मात्रा की चिंता को देखते हुए भारत की सरकार ने 17 प्रतिशत जो मानक होता है उसको बढ़ाकर 19 प्रतिशत किया और इसके साथ हमलोगों ने अधिप्राप्ति का काम तेजी से शुरू किया । राज्य में धान की अधिप्राप्ति हम 15 नवम्बर की जो तिथि देते हैं और माननीय सदस्यों की चिंता रहती है उसको ससमय शुरू करने के लिए सरकार ने संकल्प किया कि अधिप्राप्ति कार्य ससमय प्रारंभ हो सके यह सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से नमी प्रबंधन हेतु पैक्स व्यापार मंडलों में लगनेवाले चावल मिलों के साथ 12 मे0टन क्षमता प्रति पाली के ड्रायर भी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । जिसके तहत वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत स्थापित किये जानेवाले 80 चावल मिल के साथ ड्रायर की स्थापना की जा रही है । साथ ही राज्य में पूर्व से स्थापित निर्माणाधीन 441 चावल मिलों के साथ भी ड्रायर स्थापित किया जाना है जिसके अन्तर्गत 2017-18 में 40 ड्रायरों की स्थापना हेतु 8.80 करोड़ रूपये जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है । सबसे बड़ी सरकार की चिंता रही सब्जी उत्पादकों को लेकर और सरकार ने सब्जी उत्पादकों को, किसानों को उनकी माली हालत को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने भेजिटेबल कॉपरेटिव के माध्यम से अपना काम शुरू कर दिया है । सरकार ने यह संकल्प लिया और हम लोगों ने अपना काम पहले चरण में पांच जिलों से शुरू किया है- बेगुसराय, नालन्दा, मधुबनी, वैशाली और पटना में हमललोगों ने किया है जिसका त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर होगा । हम पंचायतों में, प्रखंडों में भी एक कॉपरेटिव सोसायटी बनायेंगे और मुझे सदन को बताते हुए बड़ी खुशी है कि 97 प्रखंडों में से 83 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों का गठन हो चुका है और इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है । सरकार वेजीटेबुल के लिए एक सप्लाय चेन डेवलप करना चाहती है । सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरे नंबर पर है, लेकिन हमलोगों की जो योजना है, आनेवाले वर्षों में सब्जी उत्पादन में बिहार को प्रथम स्थान दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और जिस तरह की योजना रचना हमलोगों ने बनायी है- तीन स्तरों का जो थ्री टायर हमारा स्ट्रक्चर है आनेवाले वर्षों में हम इसमें सफल होंगे । हमलोगों ने अपने आप को रिस्ट्रक्चरिंग भी किया है, प्रशासनिक सुधार भी किया है और सहकारी समितियों के लिए सबसे बड़ी बात महोदय कि हमारे यहां 8463 पैक्स हैं और मुझे सदन को बताते हुए बड़ी खुशी है कि 7700 से

ज्यादा पैक्सों का हमलोगों ने औडिट कराया है और औडिट के माध्यम से पैक्सों को और सुदृढ़ करने का काम किया है क्योंकि कोई भी संस्था जब तक उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होगी, उसका औडिट अच्छा नहीं होगा वह बढ़िया तरीके से काम नहीं कर सकती है । इसलिए इसकी भी खुशी हमलोगों को है । महोदय, राज्य के सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि 38 जिलों में से 22 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है । सुपौल जिला में नये जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का निबंधन किया जा चुका है और इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर रिजर्व बैंक को समर्पित किया गया है । छपरा जिले में नया जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के गठन की विचाराधीन व्यवस्था है । वर्तमान में कार्यरत 22 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में से 18 वित्तीय वर्ष 2017-18 में है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बाकी जो आपके लिखित कागजात हैं ।

श्री राणा रणधीर,मंत्री : महोदय, जो कागजात है.........

अध्यक्ष : चलिए आप अपनी बात समाप्त कीजिए न ।

श्री राणा रणधीर,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करता हूँ कि बाकी जो लिखित मेरे वक्तव्य हैं इसको भी प्रोसिडिंग का पार्ट बना दिया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी ने जो कागजात सदन पटल पर रखे हैं वह उनके वक्तव्य का हिस्सा बनेगा ।

सरकार का उत्तर समाप्त हुआ । माननीय मंत्री जी, अब आप बैठ जाइये । आप जो कागजात रखेंगे वह आपके वक्तव्य का हिस्सा बन जायेगा ।

(परिशिष्ट द्रष्टव्य)

टर्न-21/अशोक/14.03.2018

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री भोला यादव, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री भोला यादव सदन में उपस्थित नहीं थे)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

"इस शीर्षक की मांग 10/- रूपये से घटाई जाय "

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

" सहकारिता विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 8,06,50,99,000/-(आठ अरब छः करोड़ पचास लाख निन्यानवे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 14 मार्च, 2018 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-30(तीस) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 15 मार्च, 2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न .....

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, अभी सदन हमने स्थगित नहीं किया है, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जायं । कृपा कर के माननीय सदस्यगण, जब तक सभा की बैठक स्थगित नहीं हो क्यों अपनी-अपनी जगह छोड़ने लगते हैं ।

अब सभा की बैठक, वृहस्पतिवार, दिनांक 15 मार्च, 2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

राणा रणधीर

माननीय मंत्री

सहकारिता विभाग, बिहार

का

वक्तव्य

(2018-19)

अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह
सहकारी उन्मुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन समारोह

माँग संख्या-09 पर
मंत्री, सहकारिता
का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय

आपकी अनुमति से मैं, सहकारिता विभाग के वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए व्यय हेतु कुल ₹ 80650.99 लाख (आठ अरब छः करोड़ पचास लाख निन्यानवे हजार रुपये मात्र) के अनुदान माँग संख्या–09 को सदन के विचारार्थ, प्रस्तुत करता हूँ।

2. उपर्युक्त माँग के अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 12948.30 लाख (एक अरब उनतीस करोड़ अड़तालीस लाख तीस हजार) रुपये का व्यय प्रस्तावित है। राज्य स्कीम मद में कुल ₹ 67702.69 लाख (छः अरब सतहत्तर करोड़ दो लाख उन्हत्तर हजार) रुपये का व्यय प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत क्रमशः ₹ 29007.07 लाख (दो अरब नब्बे करोड़ सात लाख सात हजार) रुपये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु प्रीमियम के लिए, ₹ 11147.23 लाख (एक अरब ग्यारह करोड़ सैंतालीस लाख तेईस हजार) रुपये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम हेतु अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के लिए, ₹ 696.70 लाख (छः करोड़ छियानवे लाख सत्तर हजार) रुपये प्रधानमंत्री फसल बीमा अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए, ₹ 1.00 लाख (एक लाख) रुपये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (प्रीमियम अनुदान) के लिए, ₹ 1.00 लाख (एक लाख) रुपये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (क्षतिपूर्ति अनुदान) के लिए, ₹ 1.00 लाख (एक लाख) रुपये पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु प्रीमियम के लिए, ₹ 1.00 लाख (एक लाख) रुपये संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए, ₹ 378.27 लाख (तीन करोड़ अठहत्तर लाख सत्ताईस हजार) रुपये समेकित सहकारी विकास परियोजना मद के लिए, ₹ 100.00 लाख (एक करोड़) रुपये सहकारी प्रशिक्षण संस्थान के भवन मरम्मति एवं बनाने हेतु, ₹ 100.00 लाख (एक करोड़) रुपये विभागीय पदाधिकारियों / कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु, ₹ 51.00 लाख (इक्यावन लाख) रुपये सहकारिता विभाग से जुड़े कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार हेतु, ₹ 527.00 लाख (पाँच करोड़ सत्ताईस लाख) रुपये मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के लिए, ₹ 2200.00 लाख (बाईस करोड़) रुपये पैक्सों / व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु अनुदान के लिए, ₹ 8390.42 लाख (तेरासी करोड़ नब्बे लाख बियालीस हजार) रुपये गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान के लिए, ₹ 100.00 लाख (एक करोड़) रुपये सहकारिता विभाग के कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए, ₹ 7403.75 लाख (चौहत्तर करोड़ तीन हजार पचहत्तर हजार) रुपये बिहार राज्य सहकारिता बैंक, पटना को कृषि साख स्थिरीकरण निधि के लिए, ₹ 5000.00 लाख (पचास करोड़) रुपये सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन हेतु तथा ₹ 1.00 लाख (एक लाख) रुपये बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु निर्माण अनुदान मद में व्यय हेतु प्रावधानित किया गया है।

भारत के संविधान में हुए 97वें संशोधन के फलस्वरूप देश के नागरिकों को सहकारी समितियों के गठन का मौलिक अधिकार दिया गया है। साथ ही, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संशोधन करते हुए राज्य सरकारों को सहकारी समितियों के गठन एवं उनके विकास की वृहत्तर जिम्मेवारी भी दी गई है।

3. राज्य सरकार की सहकारी नीति है कि :–

(क) समाज के वृहत्तर समुदाय, विशेषतः कमजोर वर्गों का आर्थिक–सामाजिक विकास सहकारिता के माध्यम से हो।

(ख) सहकारी समितियों में सदस्यों का स्वामित्व, प्रबंधन एवं नियंत्रण का अवसर सुलभ रहे और इनका लोकतांत्रिक स्वरूप बहाल रहे।

(ग) सहकारी संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित हो।

(घ) समाज के वंचित तबकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन का मार्ग प्रशस्त हो।

(ङ) इन उद्देश्यों की पूर्ति तथा आज के प्रतियोगितात्मक आर्थिक जगत में सहकारी समितियों को सबल और सक्षम बनाया जाय ताकि ये अपने सदस्यों को बेहतर सेवा उपलब्ध करा सकें और

(च) कृषि कार्यों के विकास के लिए पैक्सों एवं व्यापार मंडलों को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त सहकारी समितियों में रोजगारोमुन्खी कार्यक्रमें यथा महिला विकास, बुनकर, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध तथा फल–सब्जी उत्पादन एवं प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना तथा इनके उत्पादों के लिए विपणन की व्यवस्था हो।

इन्हीं नीतियों, उद्देश्यों एवं दायित्वों के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार, सहकारी कानून में यथा अपेक्षित संशोधन करते हुए सहकारिता से जुड़े कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा सहकारी संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

4. विकेन्द्रीकृत धान अधिप्राप्ति

राज्य के किसानों, विशेषकर लघु एवं सीमान्त किसानों को उनके धान का **''न्यूनतम सर्मथन मूल्य''** सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धान अधिप्राप्ति का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। इस योजना को छोटे किसानों के लिए लाभकारी तथा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की प्रतिबद्धता के साथ गैर–रैयत किसानों से भी धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था की गई है। प्रक्रिया को अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी बनाने के लिए किसानों के **''ऑन–लाईन निबंधन''** तथा पूरी योजना का **''ऑन–लाईन पद्धति से अनुश्रवण''** की व्यवस्था की गई है एवं लाभान्वित किसानों के खाते में RTGS के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। राज्य सरकार की इस व्यवस्था को काफी सराहना मिली है। इस कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ 600 करोड़ रुपये उपलब्ध

कराये गये हैं। साथ ही, बिहार राज्य सहकारिता बैंक लिमिटेड, पटना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं से 500 करोड़ रुपये ऋण लेने हेतु सरकार द्वारा गारंटी प्रदान किया गया है। राज्य के पैक्सों एवं व्यापारमंडलों के द्वारा किसानों से धान अधिप्राप्ति करते हुए चावल तैयार कर बिहार राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति करने की पूरी 'विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना' का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके कारण जन–वितरण प्रणाली के तहत् चावल की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना हेतु ₹ 7403.75 लाख (चौहत्तर करोड़ तीन लाख पचहत्तर हजार) रुपये का प्रावधान किया गया है।

5. सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण हेतु अनुदान

राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, पैक्सों एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के निमित्त विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता को बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। इन आवश्यकताओं के दृष्टिगत कृषि रोड मैप (2017–2022) में पैक्सों तथा व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण की व्यापक योजना अवधारित है। अतएव सहकारिता प्रक्षेत्र में, विशेष रूप से प्रत्येक प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) एवं व्यापार मंडल में भंडारण क्षमता का सृजन किया जाना है ताकि सहकारिता के माध्यम से कृषि आदानों की उपलब्धता एवं कृषकों के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित हो सके। राज्य में कुल 8463 पैक्सों एवं 534 व्यापार मंडलों में अब तक कुल 5249 पैक्स/व्यापार मंडल में गोदामों का निर्माण किया गया है। इससे 10.374 लाख मे०टन भंडारण क्षमता की अभिवृद्धि हुई है। साथ ही, वर्तमान में 664 पैक्स/व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिससे, भंडारण क्षमता में 1.398 लाख मे० टन क्षमता की अभिवृद्धि होगी। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पैक्सों में 200/500/1000 मे०टन तथा व्यापार मंडलों में 500/1000 मे०टन क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 8390.42 लाख (तेरासी करोड़ नब्बे लाख बियालीस हजार) रुपये का प्रावधान किया गया है।

6. समेकित सहकारी विकास परियोजना (ICDP)

समेकित सहकारी विकास परियोजना सहकारी समितियों के समग्र विकास हेतु संचालित है। इसके अंतर्गत चयनित जिलों में कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, मत्स्य, बुनकर, महिला विकास, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन आदि से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए सहकारी समितियों को आधारभूत संरचना का निर्माण एवं व्यवसाय विकास के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है तथा मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

इस योजना से वर्तमान में राज्य के 10 जिले– नालन्दा, वैशाली, जहानाबाद, अररिया, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, बेगूसराय, दरभंगा, पष्चिम चंपारण एवं पूर्णिया जिला आच्छादित है। साथ ही, 5 नये जिले–

समस्तीपुर, मुंगेर, शेखपुरा, मधेपुरा एवं जमुई जिला को इस योजना से आच्छादित करने का प्रस्ताव है। इस हेतु राज्य स्कीम मद में ₹ 378.27 लाख (तीन करोड़ अठहत्तर लाख सताईस हजार) रुपये का प्रावधान किया गया है।

7. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सुखाड़, ओलापात, प्राकृतिक आग, चक्रवाती तूफान आदि कारणों से फसलों की क्षति होने की स्थिति में बीमित किसानों को बीमा प्रदान करने की यह योजना खरीफ 2016 मौसम से राज्य के सभी 38 जिलों में कार्यान्वित किया गया है। इस योजना में किसानों के लिए खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत एवं रबी खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित है। किसानों के प्रीमियम के बाद शेष प्रीमियम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50:50 के अनुपात में है। क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कम्पनी के द्वारा किया जाता है। इस योजना में खरीफ 2016 मौसम में 14,85,445 किसान तथा रबी 2016–17 मौसम में 12,27,754 किसान बीमित हुए है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना में बीमित किसानों के प्रीमियम अनुदान के सामान्य मद में ₹ 29007.07 लाख (दो अरब नब्बे करोड़ सात लाख सात हजार) रुपये, अनुसूचित जाति उपयोजना मद में ₹ 11147.23 लाख (एक अरब ग्यारह करोड़ सैंतालीस लाख तेईस हजार) रुपये, एवं अनुसूचित जाति उपयोजना मद में ₹ 696.70 लाख (छः करोड़ छियानवे लाख सत्तर हजार) रुपये का प्रावधान किया गया है।

8. पैक्सों में सदस्यता तथा निर्वाचन

प्रत्येक परिवार से कम–से–कम एक सदस्य को पैक्स की सदस्यता प्रदान कराये जाने के प्रयास की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत् पैक्सों में सदस्यता हेतु ऑन–लाईन आवेदन करने की कम्प्यूटर एप्प विकसित की गई, ताकि पैक्सों में सदस्यता की प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सके। इस व्यवस्था को पायलट आधार पर वैशाली जिले के लालगंज प्रखण्ड तथा नालन्दा जिले के नूरसराय प्रखण्ड में क्रियान्वित किया गया। जिसके सफल परिणाम के बाद राज्य के सभी जिलों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। साथ–ही–साथ इस क्रम में सदस्यता हेतु अन्य सार्थक प्रयास भी किये गये, जिसके फलस्वरूप पैक्सों की सदस्यता बढ़कर 1.16 करोड़ हो गई है, जिसमें महिला सदस्यों की संख्या 35.96 लाख है। पैक्सों में सदस्यता हेतु ऑनलाईन आवेदन की व्यवस्था के तहत अब तक लगभग 1.30 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।

राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों में जनतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के लिए इनकी प्रबंध समिति का निर्वाचन स्वतंत्र निर्वाचन प्राधिकार के माध्यम से कराया जा रहा है। साथ ही, सहकारी समितियों के प्रबंधन में अन्य वर्गों के आरक्षण के अतिरिक्त महिलाओं के लिए आरक्षित एवं अनारक्षित दोनों कोटियों में 50 प्रतिशत स्थान सुरक्षित करने के प्रावधान भी किये गये है।

9. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र

सहकारिता प्रक्षेत्र में राज्य सरकार का सहकारी प्रशिक्षण संस्थान पूसा (समस्तीपुर) में कार्यरत है। इस प्रशिक्षण संस्थान में सहकारी समितियों के अध्यक्षों/ प्रबंधकों/कार्यकारिणी एवं समिति के सदस्यों के सहकारिता के सिद्धान्तों, नियमावली एवं अधिनियम के साथ–साथ समिति के लिए संचालन के विविध आयामों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण केन्द्र के भवन का वर्ष 2016–17 में जीर्णोद्धार कराते हुए प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सहकारिता प्रक्षेत्र में व्यापक एवं आधुनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता के मद्देनजर एक नया प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार संकल्पित है। एतदर्थ, वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 100.00 लाख (एक करोड़) रुपये का प्रावधान किया गया है।

10. सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण

आज के परिपेक्ष्य में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य क्षमता में वृद्धि एवं कार्य प्रणाली को पारदर्शी तथा सशक्त बनाने के लिए विभाग तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करते हुए आधुनिक बनाया जाना आवश्यक है। इस क्रम में वर्ष 2017–18 में मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अनुमंडल स्तर के सभी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कराया जा चुका है। प्रखंड स्तर पर कम्प्यूटर के माध्यम से समन्वय एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के साथ कार्यपालक सहायकों को संलग्न किया गया है। इसी क्रम में आधुनिकीकरण के कार्यों को आगे ले जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 100.00 लाख (एक करोड़) रुपये का प्रावधान किया गया है।

11. सहकारिता का प्रचार–प्रसार

सहकारिता की आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों की दृष्टि में रखकर सहकारिता से जुड़े कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के प्रचार–प्रसार यथा लघु पुस्तिका, पोस्टर–बैनर, कार्यशाला, झाँकियाँ, मेला, प्रदर्शनी आदि के माध्यम से इन कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी जनमानस तक पहुँचाया जाना अति आवश्यक है।

इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 51.00 लाख (एकावन लाख) रुपये का प्रावधान किया गया है।

12. बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान

बिहार राज्य भंडार निगम बड़े क्षमता के गोदामों का निर्माण कर इन गोदामों के माध्यम से कृषि उत्पादों एवं आदानों (Inputs) का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करती है। राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं अपर्याप्त भंडारण के मद्देनजर अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन बिहार राज्य भंडार निगम के माध्यम से किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य भंडार निगम को नाबार्ड से ₹ 178.00 करोड़ रुपये ऋण लेने हेतु गारंटी प्रदान किया गया है। जिसके तहत् 164.04 करोड़ नाबार्ड से प्राप्त ऋण से 2.60 लाख भंडारण क्षमता के गोदामों का निर्माण किया गया है तथा 0.50 लाख मे०टन भंडारण क्षमता का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस योजना के लिए वर्ष 2018–19 में ₹ 1.00 (एक लाख) रुपये का प्रावधान किया गया है।

13. सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन

राज्य के सब्जी उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने, सब्जी उपभोक्ताओं को बाजार में प्रचलित दर से कम दर पर उपलब्ध कराने, ज्यादा उत्पादन की स्थिति में हो रहे अवमूल्यन एवं बर्बादी रोकने, सब्जी के मूल्य संवर्द्धन हेतु इसके प्रसंस्करण तथा विपणन की बेहतर व्यवस्था किये जाने की प्रतिबद्धता को क्रियान्वित करने का कार्य प्रगति पर है। इस क्रम में त्रिस्तरीय सहकारी संरचना की अवधारणा की गई है। पुनः सब्जी के मूल्य संवर्द्धन हेतु विशेषीकृत भंडारण यथा, कोल्ड चेन एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग एवं प्रबंधन के लिए योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के प्रथम चरण में राज्य के 5 जिलों यथा– पटना, नालन्दा, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगूसराय में कार्यान्वयन आरंभ किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में इसके लिए ₹ 5000.00 लाख (पचास करोड़) रुपये का प्रावधान किया गया है।

14. सहकार भवन का निर्माण

प्रत्येक जिले में सहकारिता विभाग के प्रशासनिक कार्यालय, अंकेक्षण कार्यालय तथा सहकारी बैंकों को आपस में समन्वय स्थापित कर एक साथ कार्य करने तथा जिले के विभिन्न सहकारी समितियों में अनेक प्रकार के उत्पादों के विपणन हेतु स्थान उपलब्ध कराने तथा एक परिसर में सारी सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में एक सहकार भवन बनाने की योजना है। जमीन उपलब्धता सुनिश्चित करके 14 जिलों में सहकार भवन के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। एतदर्थ वित्तीय वर्ष 2018–19 में माँग संख्या–03 के अंतर्गत ₹ 1967.50 लाख (उन्नीस करोड़ सड़सठ लाख पचास हजार) रुपये का प्रावधान किया गया है।

15. मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना

सुशासन के कार्यक्रम में पैक्सों को आदर्श पैक्स के रूप में विकसित करने हेतु स्वच्छ प्रतियोगिता के प्रयोजन से **"मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना"** लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अनुमण्डल के दो पैक्सों एवं राज्य स्तर पर तीन पैक्सों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत पैक्स का चयन विभिन्न कार्यकलापों में किये गये प्रदर्शन के सापेक्ष प्राप्त अंको (Marks) के मूल्यांकन पर आधारित होगा।

अनुमण्डल स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 3 लाख रुपये एवं द्वितीय पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जायेगी। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार–10 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार–7 लाख रुपये एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जायेगी।

इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 527.00 लाख (पाँच करोड़ सताईस लाख) रुपये का प्रावधान किया गया है।

16. प्रबंधकीय अनुदान

राज्य में धान अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न पैक्स/व्यापार मंडल/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक को राज्य खाद्य निगम से प्राप्त भुगतान में विलम्ब एवं अतिरिक्त ब्याज देयता की कठिनाईयों के मद्देनजर प्रत्येक वर्ष आपूर्ति की गई चावल की मात्रा के अनुरूप 10.00 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पैक्स एवं व्यापार मंडलों को, 5.00 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जिला केन्द्रीय सहकारी तथा 0.50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राज्य सहकारी बैंक को प्रबंधकीय अनुदान की राशि राज्य स्कीम मद से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस योजना से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/ व्यापार मंडल/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक को आर्थिक सुदृढ़ता मिलेगी।

एतदर्थ वर्ष 2018–19 में ₹ 2596.25 लाख (पच्चीस करोड़ छियानवे लाख पचीस हजार) रुपये का प्रावधान किया गया है।

17. बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार

भारतीय रिजर्व बैंक के बैकिंग लाइसेंसिग मानक के अनुसार दिनांक 31.03.2017 की तिथि पर बैंक का न्यूनत्तम पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) 9% होना अनिवार्य है। दिनांक 31.03.2016 की तिथि पर राज्य के 22 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में से 07 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक यथा औरंगाबाद, मुंगेर, कटिहार, पूर्णियाँ, मगध, सासाराम एवं नवादा का CRAR 9% से कम था। इन बैंकों का 9% CRAR का स्तर प्राप्त करने हेतु कुल 164.80 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता थी। विभाग के प्रयासों के फलस्वरूप इन बैंकों द्वारा अपने स्वपूंजी में वृद्धि की गई है एवं अपने लम्बित चालू खातों एवं माईग्रा खातों का मिलान किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 31.03.217 की तिथि को किये गये अंकेक्षण के आधार पर मगध, सासाराम एवं नवादा बैंक का CRAR 9% से ऊपर हो गया है। साथ ही अन्य जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की CRAR की स्थिति में सुधार हुआ है। जिससे अब इन्हें कम अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता होगी।

सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के अन्य मानकों के आधार पर भी राज्य के सहकारी बैंकों की स्थिति में सुधार हुआ है। 22 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में से 19 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में लाभ में है। बैंक के Net NPA में सुधार हुआ है।

18. कृषि फसल ऋण

अल्पकालीन सहकारी साख संरचना अन्तर्गत जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा बिहार राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड से पुर्नवित सुविधा प्राप्त कर पैक्स के सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मौसमी परिचालन हेतु अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमिटि द्वारा वर्ष 2017–18 में सहकारी बैंकों के लिए कुल 1036.36 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित है। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के सीमित संसाधन के बावजूद खरीफ एवं रबी मौसम मे अब तक 384 करोड़ का ऋण वितरण किया जा चुका है।

19. पैक्सों का सशक्तिकरण

अल्पकालीन सहकारी साख संरचना अन्तर्गत पंचायत स्तर पर कुल 8463 पैक्स गठित है। पैक्सों के माध्यम से कृषि ऋण वितरण के अतिरिक्त अपने सदस्यों से जमा वृद्धि व्यवसाय, खाद्य एवं बीज व्यवसाय तथा उपभोक्ता व्यवसाय किया जाता है। पैक्सों को पंचायत स्तर पर आर्थिक व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र बनाने की सरकार की योजना है।

20. पैक्सों का कम्प्युटरीकरण

पैक्सों में समान लेखा प्रणाली (CAS) एवं प्रबंधकीय सूचना प्रणाली (MIS) लागू है। CAS एवं MIS सुगम बनाने तथा समितियाँ के कामकाज में पारदर्शिता एवं एकरूपता लाने के उद्धेश्य से भारत सरकार द्वारा पैक्सों के कम्प्युटरीकरण की योजना पर विचार किया जा रहा हे।

उक्त कम्प्युटरीकरण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कुल परियोजना लागत का 60% व्यय भार वहन किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत का 35% एवं शेष 5% व्यय भार संबंधित समिति द्वारा वहन किया जाएगा।

21. अंकेक्षण व्यवस्था

सहकारी समितियों के कार्यकलाप में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समितियों का समयबद्ध अंकेक्षण अत्यंत आवश्यक है। बिहार सहकारी अधिनियम 1935 की सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत सभी सहकारी समितियों का विधिवत् अंकेक्षण आगामी वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह तक सम्पन्न हो जाना है। इस कार्य में विभागीय अंकेक्षको के अतिरिक्त चार्टड एकाउन्टेंट फर्म की सेवा ली जा रही है। अंकेक्षण प्रभाग को सशक्त करने के लिए विभाग में प्रोन्नति दी गयी है तथा खाली पदों को भरा गया है। अंकेक्षण प्रतिवेदन के समर्पित होने के उपरांत वाचन की प्रक्रिया को सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे त्रुटि का समय पर निराकरण संभव हो सके। दिनांक 31.03.2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के आधार पर कुल 8463 पैंक्सों में से 7800 से अधिक पैक्सों का अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है। दिनांक 31.03.2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के आधार पर 3000 से अधिक पैक्सों का अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है।

महोदय, मैं अंत में निम्न पंक्तियों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ –

मंजिलें और लक्ष्य बड़े जिद्दी होते हैं,
हासिल कहाँ नसीब से होते हैं,
पर वहाँ तूफाँ भी हार जाते हैं,
जहाँ कश्तियाँ जिद्द पर होती हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूँ कि माँग संख्या–09 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग के लिए वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय तथा स्कीम मद अन्तर्गत व्यय हेतु कुल ₹ 80650.99 लाख (आठ अरब छः करोड़ पचास लाख निन्यानवे हजार) रुपये मात्र की मांग पारित की जाय।

22.

अनुदान माँग संख्या-09

(रुपये लाख में)

मुख्य शीर्ष	राशि
2401– फसल कृषि कर्म – आयोजन व्यय	40855.00
2408– खाद्य भंडारण तथा भांडागार – आयोजना व्यय	1.00
2425– सहकारिता – आयोजना व्यय	19442.94
4425– सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय – आयोजना व्यय	0.00
6425– सहकारिता के लिए कर्ज – आयोजना व्यय	7403.75
2425– सहकारिता–स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	12376.95
3451– सचिवालय आर्थिक सेवायें–स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	571.35
कुल योग	**80650.99**